फा.संख्या: K-11011/30/2023-CB-भाग(1)

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

****

3 अक्टूबर, 2024 को आयोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की 8 वीं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

1. वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की 8वीं बैठक 3 अक्टूबर, 2024 को जीवन भारती भवन, नई दिल्ली में सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। बैठक में उपस्थित होने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-ए** में दी गई है।

2. पंचायती राज मंत्रालय के सचिव/सीईसी के अध्यक्ष, सीईसी के सदस्यों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा संयुक्त सचिव (सीबी), पंचायती राज मंत्रालय/सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक के एजेंडे की शुरुआत की।

केन्द्रीय कार्यसूची: केन्द्रीय कार्यसूची के आठ मदों को विचार एवं अनुमोदन के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष रखा गया ।

कार्यसूची आइटम नंबर 1: मास्टर ट्रेनर्स (एसएलएमटी / डीएलएमटी / बीएलएमटी), अतिथि संकायों और प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों के लिए मानदेय का मानकीकरण।

1.1 सीईसी को बताया गया कि आरजीएसए के तहत क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) घटक के लिए लागत मानदंड विभिन्न स्तरों पर सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए एक समान हैं। हालांकि, यह देखा गया है कि प्रशिक्षकों, संकाय और संसाधन व्यक्तियों को दिए जाने वाले मानदेय/पारिश्रमिक की दर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अलग-अलग है।

1.2 जमीनी स्तर पर संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण मास्टर प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता और प्रतिधारण सुनिश्चित करना अनिवार्य है, जिसके लिए उचित स्तर का मानदेय आवश्यक है। अपर्याप्त मानदेय के कारण गुणवत्तापूर्ण संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता में कमी भी हो सकती है, जिससे प्रशिक्षण सत्रों की शिक्षा और वितरण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए, असमानता को खत्म

करने और सभी स्तरों पर संसाधन व्यक्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानदेय की दरों के मानकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई है।

1.3 इस संबंध में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और मंत्रालयों द्वारा वर्तमान में प्रदान किए जाने वाले मानदेय की दर का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया और सीईसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसका विवरण **अनुलग्नक-I में दिया गया है।**

1.4 तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर मास्टर प्रशिक्षकों, अतिथि संकायों और प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों (प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित या संविदा के आधार पर लगे संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों को छोड़कर) के लिए मानदेय की दरों को मानकीकृत करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव सीईसी के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया:

क्र.सं.	**स्तर**	**स्वयं का / आंतरिक संकाय**	**मानदेय की दर (रु. में)**	**यदि कोई टिप्पणी हो)**
क.	संसाधन व्यक्ति राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर श्रेणियाँ	एसएलएमटी	2000/सत्र	प्रतिदिन सत्रों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं
		डीएलएमटी	1500/सत्र	
		बीएलएमटी	1500/सत्र	
ख.	अन्य सरकारी संगठनों से अतिथि संकाय (अधिकारी जिनके पास 10 वर्ष का कार्य अनुभव और डोमेन ज्ञान हो)	राज्य स्तर	3000/सत्र	एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक सत्र नहीं दिन
		जिला स्तर	2000/सत्र	
		संबंधी ब्लॉक स्तर	1500/सत्र	
ग.	प्रख्यात संसाधन व्यक्ति	**श्रेणी क:** भारत सरकार में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर का पद, या राज्य सरकार में समकक्ष, डोमेन संबंधी ज्ञान	6000/सत्र	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक से अधिक सत्र नहीं
		श्रेणी ख: भारत सरकार के निदेशक या राज्य सरकार में समकक्ष।	4000/सत्र	

नोट : उपरोक्त मानक दरें IoEs/IRMA/IIPA द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर लागू नहीं होंगी, जिनकी मानदेय की अपनी दरें हैं।

1.5 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विभिन्न स्तरों पर मास्टर प्रशिक्षकों, अतिथि संकायों और प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों (प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित या संविदा आधार पर नियुक्त संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों को छोड़कर) के लिए मानदेय की दरों के मानकीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया, जैसा कि ऊपर पैरा 1.4 में उल्लेख किया गया है। हालाँकि**,** ये मानक दरें IoEs/IRMA/IIPA द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर लागू नहीं होंगी, जिनकी मानदेय की अपनी दरें हैं।

कार्यसूची मद संख्या 2: आरजीएसए के तहत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों के लिए दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वित्तपोषण का प्रस्ताव।

2.1 मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया गया कि जिला और ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्य रूप से वैचारिक पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्रों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है, जो ग्रामीण/पंचायत विकास परियोजनाओं की प्रभावी समझ और कुशल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज विभाग और पीआरआई में काम करने वाले अधिकारियों के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि उन्हें संबंधित क्षेत्रों में गहन ज्ञान प्राप्त हो सके।

2.2 तदनुसार, मंत्रालय ने उत्कृष्ट संस्थानों (आईओई) और पीआर विभाग /पीआरआई के कैडर के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय ख्याति के अन्य संस्थानों के साथ पीआरआई के अधिकारियों के लिए दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों (केवल एक वर्ष की अवधि तक) के वित्तपोषण के लिए पुन : तैयार आरजीएसए के राज्य घटक के अंतर्गत एक उप-योजना की अवधारणा की है। यह पहल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए तैयार की गई है, जैसा कि पुन: तैयार आरजीएसए के कार्यान्वयन ढांचे के पैरा 8.5.5 में प्रावधान किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत किया जा सके और सतत ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का कुशल कार्यान्वयन किया जा सके। एक ढांचे के साथ उप-योजना तैयार की गई है जिसमें पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, दायरा, शामिल पाठ्यक्रम, अनंतिम वित्तीय निहितार्थ आदि का विवरण शामिल है, जिसे विचार और अनुमोदन के लिए सीईसी के समक्ष रखा गया था।

2.3 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और अनुलग्नक-II में संलग्न विस्तृत रूपरेखा के अनुसार, संशोधित आरजीएसए के राज्य घटक के तहत **पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के अधिकारियों के लिए दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए स्वीकृति प्रदान की । सीईसी ने** सहायक निदेशक/उप निदेशक और उससे ऊपर के विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया। स्थानिक नियोजन, स्वयं के संसाधन जुटाना, पीडीपी का ऊर्ध्वाधर एकीकरण, आपदा प्रबंधन आदि **जैसे विषयों को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया गया** । सीईसी के सुझावों के आधार पर, **अनुलग्नक-II में संलग्न विस्तृत रूपरेखा में उपयुक्त परिवर्तन किए गए हैं ।**

कार्यसूची मद संख्या 3: संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के मानदंडों और योजना घटकों के भीतर पारस्परिक समायोजन:

3.1 सीईसी को अवगत कराया गया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए 5911 करोड़ रुपये की कुल लागत पर संशोधित आरजीएसए की केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें 3700 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 2211 करोड़ रुपये का राज्य हिस्सा शामिल है।

3.2 राज्य घटकों के अंतर्गत आवंटन 5526.67 करोड़ रुपये था, जिसमें से 31 मार्च, 2024 तक अर्थात् योजना के पहले 2 वर्षों के दौरान व्यय [2293.25] करोड़ रुपये (लगभग 41%) था। राज्य सरकारों द्वारा 2022-23 और 2023-24 के दौरान रिपोर्ट की गई राज्य घटकों और व्यय का वित्तीय परिव्यय निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य के घटक	आवंटन	व्यय	व्यय % में
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	2174.86	1030.74	47.39
2.	संस्थागत अवसंरचना और मानव संसाधन	516.12	118.73	23.00
3.	सैटकॉम/आईपी आधारित वर्चुअल क्लास रूम/समान प्रौद्योगिकी	40.00	26.72	66.80
4.	पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन/ सहायता	1000.00	796.38	79.64
5.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ (पीएमयू)	996.04	83.39	8.37
6.	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	30.00	43.14	143.79
7.	पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए विशेष समर्थन	422.76	90.55	21.42
8.	नवप्रवर्तन के लिए समर्थन (नवप्रवर्तन गतिविधियाँ)	68.00	10.96	16.11
9.	आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित समर्थन	92.00	28.31	30.77
10.	आईईसी गतिविधियाँ (2%)	106.80	26.21	24.64
11।	कार्यक्रम प्रबंधन (1.5%)	80.09	38.14	47.62
	कुल राज्य घटक	**5526.67**	**2293.25**	**41.49**

3.3 समिति को अवगत किया कि कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों के घटकों के अंतर्गत व्यय केवल 8.37% है, PESA क्षेत्रों के लिए सहायता केवल 21.42% है और संस्थागत अवसंरचना और मानव संसाधन 23% है। तदनुसार, **संशोधित RGSA के CCEA नोट के पैरा 3.3 में दिए गए अनुसार मानदंडों और योजना घटकों के भीतर परस्पर समायोजन प्रस्तावित किया गया है।**

3.4 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया **और निम्नलिखित को स्वीकृति** प्रदान की :

(i) **राज्य घटकों के अंतर्गत निधियों के आवंटन को निम्नानुसार कम करना:**

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य के घटक**	**सीसीईए नोट के अनुसार आवंटन**	**31.04.2024 तक व्यय**	**प्रस्तावित संशोधित आवंटन**	**बचत**
1.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ (पीएमयू)	996.04	**83.39**	266.04	730.00
2.	पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए विशेष समर्थन/ सहायता	422.76	**90.55**	222.76	200.00
3.	संस्थागत अवसंरचना और मानव संसाधन	516.12	**118.73**	346.12	170.00
	कुल	**1934.92**	**292.67**	**834.92**	**1100.00**

(ii) राज्य घटकों से ऊपर बताई गई बचत को संशोधित आरजीएसए के अन्य राज्य घटकों/उप-घटकों के अंतर्गत आवंटित किया जाएगा। 3000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 3301 ग्राम पंचायत भवन और सीएससी को-लोकेशन के निर्माण के लिए 825.25 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक राज्य में यह सीमा 500 तक सीमित होगी। पंचायतों के ई-सक्षमीकरण/ग्राम पंचायतों के लिए कंप्यूटर के प्रावधान के अंतर्गत 172.88 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। 101.87 करोड़ रुपये की शेष राशि का उपयोग आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता और आरजीएसए के अन्य राज्य घटकों/उप-घटकों के लिए भी किया जाएगा।

कार्यसूची मद संख्या 4: पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त सहायता (ग्राम पंचायत भवन का निर्माण, ग्राम पंचायत भवन में सीएससी सह-स्थापन और ग्राम पंचायत भवन के लिए कंप्यूटर)

4.1 सीईसी को बताया गया कि पंचायती राज मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आरजीएसए योजना के तहत मुख्य रूप से क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर प्रभावी शासन और सेवा वितरण के लिए पंचायतों को मजबूत बनाया जा सके। इस योजना के तहत पंचायत के बुनियादी ढांचे (ग्राम पंचायत भवन (जीपीबी) का निर्माण, जीपी भवन में सीएससी को-लोकेशन और जीपी भवन के लिए कंप्यूटर) के लिए सीमित पैमाने पर सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान आरजीएसए के तहत 4531 जीपीबी और जीपी के लिए 15492 कंप्यूटर स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पिछले वर्षों से कैरी ओवर भी शामिल है। हालाँकि, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 27,000 जीपी के पास अभी भी अपना भवन नहीं है और लगभग 38,320 जीपी के पास कंप्यूटर नहीं हैं।

4.2 ग्राम पंचायत भवन (जीपीबी) ग्राम पंचायतों के लिए कार्यालय के रूप में कार्य करता है, तथा ग्राम सभाओं और सूचना प्रसार जैसे कार्यों को सुविधाजनक बनाता है। हालाँकि, कई ग्राम पंचायतों में समर्पित कार्यालय भवनों की कमी है, जो उनकी दक्षता में बाधा डालती है। मंत्रालय ने प्रभावी कामकाज, रिकॉर्ड रखने और पारदर्शिता के लिए जीपीबी और कंप्यूटर की उपलब्धता को अनिवार्य बनाते हुए अनिवार्य ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन और पोर्टल लॉन्च किए हैं। संसदीय स्थायी समिति और विभिन्न अध्ययनों ने बुनियादी ढांचे की कमी के बारे में चिंताओं को उजागर किया है, और आग्रह किया है कि इन कमियों को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए।

4.3 तदनुसार, 3000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में सीएससी को-लोकेशन के साथ 3301 ग्राम पंचायत भवन (जीपीबी) के निर्माण का समर्थन करने का प्रस्ताव किया गया था, जिनके पास अपना स्वयं का जीपी भवन नहीं है, जिसकी वित्तीय लागत 825.25 करोड़ रुपये होगी, **जिसकी दर 25 लाख रुपये होगी** (जीपीबी के लिए 20 लाख रुपये और सीएससी को-लोकेशन के लिए 5 लाख रुपये) **, जैसा कि अनुलग्नक- III में विवरण दिया गया है।** समानता सुनिश्चित करने के लिए, ऊपरी सीमा प्रति राज्य 500 जीपी भवन होगी।

4.4 इसके अतिरिक्त, 7 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड) में स्वयं के भवन वाली ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 20164 कम्प्यूटरों तथा बिहार राज्य में 2000 कम्प्यूटरों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया, जिस पर 172.88 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा, जैसा कि अनुबंध **II** में दिया गया है।

4.5 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और निम्नलिखित को स्वीकृति प्रदान की :

(i) उपरोक्त पैरा 4.3 के अनुसार, 3000 से अधिक जनसंख्या वाली उन ग्राम पंचायतों में जिनके पास स्वयं का ग्राम पंचायत भवन नहीं है, सीएससी सह-स्थापन के साथ 3,301 ग्राम पंचायत भवन (जीपीबी) के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना।

(ii) उपरोक्त पैरा 4.4 के अनुसार स्वयं के भवन वाली ग्राम पंचायतों में 22,164 कम्प्यूटरों के लिए सहायता उपलब्ध कराना।

(iii) कई राज्यों ने बताया कि 50,000 रुपये की कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाले कंप्यूटर उपलब्ध नहीं थे। राज्यों की मांग को देखते हुए इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

(iv) ग्राम पंचायतों में सीएससी सह-स्थान और ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर के साथ-साथ जीपी भवन के निर्माण के लिए आरजीएसए के अन्य राज्य घटकों से पुनर्विनियोजित निधि का उपयोग करना।

(v) राज्यों को बजट सारांश में संशोधन के लिए राज्य अधिकार प्राप्त समिति (एसईसी) की मंजूरी से 2024-25 की अनुपूरक वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करनी है। (राज्य सूची संलग्न है)।

(vi) राज्यों को इन अतिरिक्त स्वीकृत ग्राम पंचायत भवन और कम्प्यूटरों के लिए अपने बजट में राज्य का हिस्सा प्रदान करने के लिए लिखित पुष्टि प्रदान करनी होगी।

कार्यसूची मद संख्या 5: राज्य पंचायत संसाधन केन्द्रों (एसपीआरसी) और जिला पंचायत संसाधन केन्द्रों (डीपीआरसी) *में कंप्यूटर लैब और* तकनीकी शैक्षिक सहायता *का प्रावधान :*

5.1 एस.पी.आर.सी. और डी.पी.आर.सी. में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव 4 जुलाई, 2024 को आयोजित बैठक में सी.ई.सी. के समक्ष रखा गया**,** जिसे इस शर्त के साथ सैद्धांतिक मंजूरी दी गई कि एस.पी.आर.सी. और डी.पी.आर.सी. में कंप्यूटर लैब और अन्य तकनीकी शैक्षिक *सहायता* की आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर वित्तीय निहितार्थ की गणना की जाएगी।

5.2 तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर मूल्यांकन किया गया, जो निम्नानुसार है:

(i) बताया गया है कि 27 एस.पी.आर.सी. कार्यरत हैं, जिनमें से 25 राज्यों (छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को छोड़कर) ने एस.पी.आर.सी. में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए सहायता मांगी है। अधिकांश राज्यों ने एस.पी.आर.सी. में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 30 कंप्यूटर प्रस्तावित किए हैं।

(ii) 441 डीपीआरसी कार्यरत बताए गए हैं, जिनमें से यह बताया गया कि 46 डीपीआरसी में कंप्यूटर लैब हैं। तदनुसार, 395 डीपीआरसी को कंप्यूटर लैब की आवश्यकता है। अधिकांश राज्यों ने कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए प्रति डीपीआरसी 20 कंप्यूटर का प्रस्ताव दिया है।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य/जिला पंचायत संसाधन केंद्रों में प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एलसीडी, प्रोजेक्टर, कॉन्फ्रेंस कैमरा, ध्वनि प्रणाली, वीडियो प्रोजेक्टर/एलईडी टीवी, पीए सिस्टम, वीडियो स्ट्रीमिंग कैमरा आदि जैसे तकनीकी शैक्षिक सहायक उपकरण भी मांगे हैं।

(iv) एस.पी.आर.सी. स्तर पर तकनीकी शैक्षिक सहायता की अनुमानित लागत 10 लाख रुपये तथा डी.पी.आर.सी. स्तर पर 6 लाख रुपये प्रस्तावित की गई है।

5.3 उपर्युक्त के मद्देनजर, निम्नलिखित प्रस्ताव राज्य घटक ***"संस्थागत अवसंरचना और मानव संसाधन" के अंतर्गत समिति के समक्ष*** विचार एवं अनुमोदन हेतु रखा गया:

(i) राज्य/जिला पंचायत संसाधन (एसपीआरसी/डीपीआरसी) में कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना:

क्र. सं.	कंप्यूटर लैब्स	एस.पी.आर.सी. की संख्या	प्रति एसपीआरसी/ डीपीआरसी	आवश्यक कंप्यूटरों की कुल संख्या	कंप्यूटर के लिए इकाई लागत	कुल अनुमानित राशि (करोड़

		जिसमें कम्प्यूटर की आवश्यकता है*	आवश्यक कंप्यूटरों की संख्या**	एसपीआरसी/ डीपीआरसी		रुपए में)
1	एस.पी.आर.सी. में कम्प्यूटर प्रयोगशाला	25	30	750	78000	5.85
2	डी.पी.आर.सी. में कम्प्यूटर प्रयोगशाला	395	20	7900	78000	61.62
	कुल			**8650**		**67.47**

(ii) राज्य/जिला पंचायत संसाधन केंद्रों में प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एलसीडी, प्रोजेक्टर, कॉन्फ्रेंस कैमरा, ध्वनि प्रणाली, वीडियो प्रोजेक्टर/एलईडी टीवी, पीए सिस्टम, वीडियो स्ट्रीमिंग कैमरा आदि जैसे तकनीकी शैक्षिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।

क्र. सं.	**कंप्यूटर लैब्स**	**कार्यात्मक एसपीआरसी की संख्या**	**एस.पी.आर.सी. की संख्या जिसमें तकनीकी शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है**	**तकनीकी शैक्षिक सहायता की लागत (लाख रुपए में)**	**कुल अनुमानित राशि (करोड़ रुपए में)**
1	डी.पी.आर.सी. में तकनीकी शैक्षिक सहायता	27	25	10	2.50
2	डी.पी.आर.सी. में तकनीकी शैक्षिक सहायता	441	395	6	23.70
	कुल				**26.20**

5.4 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया **और निम्नलिखित को स्वीकृति** प्रदान की :

(i) ***"संस्थागत अवसंरचना और मानव संसाधन" घटक के अंतर्गत*** **प्रति एसपीआरसी 23 लाख रुपये और प्रति डीपीआरसी 16 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान करना, ताकि एसपीआरसी में 30 कंप्यूटर और डीपीआरसी में 20 कंप्यूटर के साथ एक कंप्यूटर लैब स्थापित की जा सके,**

जिसकी लागत 78,000 रुपये प्रति कंप्यूटर होगी, जैसा कि संशोधित आरजीएसए के तहत ई-सक्षमता के लागत मानदंडों के अनुसार , 67.47 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ, जैसा कि पैरा 5.3 (i) में उल्लिखित है , स्वयं के/सरकारी भवन में पहले से ही कार्यात्मक एसपीआरसी और डीपीआरसी के लिए।

(ii) ***"संस्थागत अवसंरचना और मानव संसाधन"* घटक के अंतर्गत प्रति एसपीआरसी 10 लाख रुपये तक तथा प्रशिक्षण के लिए तकनीकी शैक्षिक सहायता के लिए प्रति डीपीआरसी 6 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान करना, जिससे 26.20 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि पैरा 5.3 (ii) में उल्लेख किया गया है ।**

(iii) **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम्प्यूटर लैब की स्थापना के लिए वार्षिक कार्य योजना/पूरक वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करना है, जिसमें कम्प्यूटर लैब की स्थापना के लिए कमरों की उपलब्धता और प्रशिक्षण के लिए तकनीकी शैक्षिक सहायता का विवरण शामिल होगा।**

कार्यसूची मद संख्या 6: 2024-25 की अवधि के लिए राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम (सीएलजीएफ) को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सदस्यता शुल्क जारी करने का प्रस्ताव।

6.1 सीईसी को बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संशोधित आरजीएसए का एक केंद्रीय घटक है। भारत 2007 से राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम (सीएलजीएफ) का एक सदस्य देश है। सीएलजीएफ 1995 में स्थापित एक गैर-सरकारी मंच है जिसकी उपस्थिति राष्ट्रमंडल के 40 से अधिक देशों में है और इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्थानीय सरकार मंत्रालयों, स्थानीय सरकार संगठनों और व्यक्तिगत परिषदों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई संगठन हैं। सदस्य देशों को सीएलजीएफ का सदस्य बने रहने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क/अंशदान देना आवश्यक है। यह फोरम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच सूचना/विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच/आवाज प्रदान करता है। सीएलजीएफ की विभिन्न गतिविधियां जैसे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रकाशन, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ इंटरफेस

6.2 तदनुसार, चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीएलजीएफ को एमओपीआर की सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए अनुमोदन मांगा गया था, सीएलजीएफ द्वारा प्रस्तुत चालान के अनुसार £ 15,880 की राशि, जो 2024-25 के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित 20 लाख रुपये के भीतर है।

6.3 सीईसी का निर्णय : सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएलजीएफ को एमओपीआर की सदस्यता शुल्क के रूप में £15,880 के भुगतान को मंजूरी दी।

कार्यसूची मद संख्या 7: संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण एजेंसियों के पैनल के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

7.1 सीईसी को बताया गया कि संशोधित आरजीएसए एसडीजी के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के लिए 9 विषयगत दृष्टिकोणों को अपनाते हुए एसडीजी से जुड़ी स्थानीय समस्याओं के स्थायी समाधान को साकार करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए पीआरआई की क्षमता निर्माण पर जोर देता है। हालांकि, देश भर में पंचायती राज संस्थाओं के विशाल ग्राहक वर्ग को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना विशेष रूप से उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक चुनौती है, जिन्होंने अभी तक अपना संस्थागत बुनियादी ढांचा स्थापित नहीं किया है। इसलिए, मंत्रालय ने एक पहल की है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण एजेंसियों के पैनल की प्रक्रिया शुरू की है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी आवश्यकता के आधार पर संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत आरजीएसए योजना के तहत परिभाषित मानक दरों पर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए ऐसी पैनल वाली एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

7.2 तदनुसार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और अध्यक्ष सीईसी के अनुमोदन से 11 सितंबर, 2024 को रूझाान की अभिव्यक्ति जारी की गई थी, जिसके बाद 23 सितंबर, 2024 को प्रस्ताव-पूर्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद 27 सितंबर 2024 को प्रस्ताव-पूर्व प्रश्नों पर मंत्रालय के जवाबों के साथ एक परिशिष्ट जारी किया गया था।

7.3 कार्यसूची मुख्य चुनाव आयुक्त की जानकारी के लिए प्रस्तुत किया गया। समिति ने चर्चा के बाद इसे कार्योत्तर स्वीकृति देने का निर्णय लिया।

कार्यसूची आइटम संख्या 8: पश्चिम बंगाल के "ग्रेटर कोलकाता क्षेत्र के आसपास के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण प्रबंधन परियोजना" का प्रस्ताव

8.1 पश्चिम बंगाल के ग्रेटर कोलकाता क्षेत्र के आसपास के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण प्रबंधन परियोजना के लिए 10.98 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूबीपीसीबी), पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य वायु प्रदूषण स्तर के बेहतर प्रबंधन और पर्यावरण प्रदूषण, सामुदायिक प्रदूषण प्रबंधन और औद्योगिक सुरक्षा की निगरानी के लिए सेंसर आधारित कॉम्पैक्ट वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन विकसित करना है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल के 4 जिलों को कवर करते हुए 70 ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी।

8.2 इस प्रस्ताव को पंचायती राज मंत्रालय के सचिव/सीईसी के अध्यक्ष द्वारा संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटक (केंद्र और राज्य के बीच 90:10 के बंटवारे के पैटर्न पर) के अंतर्गत आरजीएसए के

कार्यान्वयन ढांचे के पैरा 7.2.1(vi) के अनुसार अनुमोदित किया गया, जो कि नवीन/विशिष्ट परियोजनाओं/गतिविधियों के संचालन के लिए संस्थानों, विशेष एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है।

8.3 सीईसी ने नवीन प्रस्ताव पर विचार किया तथा उसे पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की।

राज्य कार्यसूची: समिति ने वर्ष 2024-25 के लिए बिहार, गुजरात और पंजाब की वार्षिक कार्य योजना तथा अन्य राज्य कार्यसूची पर पुनर्विचार किया। पंचायतों को मजबूत बनाने तथा योजना के क्रियान्वयन और प्रभावशीलता में सुधार के लिए समिति द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई नवीन पहलों को अपनाने की सलाह दी गई।
2) राज्य को चालू वित्त वर्ष के दौरान धनराशि का समय पर जारी होना सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध धनराशि के समय पर उपयोग के लिए रणनीति तैयार करनी होगी ।
3) कई राज्य/संघ शासित प्रदेश पंचायतों के सीबी एंड टी के लिए शैक्षणिक संस्थानों/उत्कृष्टतापूर्ण संस्थानों के साथ सहयोग कर रहे हैं। अन्य राज्य/संघ शासित प्रदेश भी इसके लिए संभावनाएं तलाश सकते हैं।
4) आरजीएसए के तहत एक्सपोजर विजिट सीबी एंड टी के प्रमुख घटकों में से एक है। इसे कारगर बनाने के लिए, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आरजीएसए के तहत एक्सपोजर विजिट को सुविधाजनक बनाने के लिए उप/सहायक निदेशक के स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक्सपोजर विजिट के लिए पंचायतों की सूची संकलित की जानी चाहिए और उसे मंत्रालय के साथ साझा किया जाना चाहिए, जिसे बाद में मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जा सकता है। इसे संबंधित पोर्टल पर भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

कार्यसूची आइटम नंबर 1: वार्षिक कार्य योजना (2024-25) का अनुमोदन: बिहार

1.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर 24 मई, 2024 को आयोजित वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तीसरी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के दौरान विचार किया गया। राज्य ने 307.83 करोड़ रुपये की एएपी प्रस्तुत की थी, जिसमें 565627 प्रतिभागियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) शामिल था। बिहार राज्य में 2023-24 के दौरान आरजीएसए के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा सीईसी द्वारा की गई और यह पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान केवल 30% लक्षित प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे और वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य के पास अप्रयुक्त शेष राशि यानी लगभग 76 करोड़ रुपये भी उपलब्ध थे।

1.2 वर्ष 2023-24 के दौरान धीमी प्रगति को देखते हुए, समिति ने AAP 2024-25 की प्रस्तावित गतिविधियों में से 50% को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी, जिसे राज्य अधिकार प्राप्त समिति (SEC) द्वारा अनुमोदित किया गया था और राज्य को प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, प्रस्तावित प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों का कम से कम 25% सितंबर 2024 तक पूरा किया जाना चाहिए। सितंबर, 2024 के अंत में कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति का आकलन किया जाएगा और की गई प्रगति के आधार पर निर्णय की समीक्षा की जाएगी।

1.3 सीईसी के उपरोक्त निर्णय के आधार पर, बिहार राज्य सरकार ने सितंबर, 2024 तक की प्रगति साझा की और समिति ने पाया कि आरजीएसए के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण घटक के तहत अब तक राज्य द्वारा केवल 15.65% उपलब्धि हासिल की गई थी। जबकि समिति को बिहार के एएपी पर विचार करने के लिए अपनी पिछली बैठक में निर्धारित लक्ष्य की गैर-प्राप्ति के लिए कोई ठोस कारण नहीं मिला, इसने इस तथ्य के मद्देनजर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के एएपी को अपनी अंतिम मंजूरी देने का फैसला किया कि इस वर्ष प्रशिक्षित किए गए 50% से अधिक व्यक्ति (84,632) पिछले महीने प्रशिक्षित किए गए थे। निदेशक ने आश्वासन दिया कि अब गति आने पर लक्ष्य हासिल कर लिए जाएंगे। समिति ने राज्य में प्रगति की निगरानी जारी रखने का फैसला किया।

कार्यसूची आइटम नंबर 2: वार्षिक कार्य योजना (2024-25) का अनुमोदन: गुजरात

2.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गुजरात की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर 24 मई, 2024 को आयोजित वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तीसरी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के दौरान विचार किया गया। राज्य ने 151.066 करोड़ रुपये की एएपी प्रस्तुत की थी, जिसमें 2,96,085 प्रतिभागियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) शामिल था। समिति ने गुजरात राज्य में पिछले कुछ वर्षों के

दौरान आरजीएसए के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और आरजीएसए के कार्यान्वयन की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की।

2.2 वर्ष 2023-24 के दौरान हुई धीमी प्रगति को देखते हुए, समिति ने एएपी 2024-25 की प्रस्तावित गतिविधियों के 50% को इस शर्त के साथ सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है कि राज्य प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन में तेजी लाएगा और 30 सितंबर, 2024 तक कम से कम 50,000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति का आकलन सितंबर, 2024 के अंत में किया जाएगा और हुई प्रगति के आधार पर निर्णय की समीक्षा की जाएगी।

2.3 सीईसी के उपरोक्त निर्णय के आधार पर, गुजरात सरकार ने सितंबर, 2024 तक की प्रगति साझा की और समिति ने पाया कि राज्य ने योजना के तहत पर्याप्त प्रगति की है और दिए गए लक्ष्य का 92% हासिल किया है। इसके अलावा, निम्नलिखित बिंदुओं पर भी चर्चा की गई:

i. **हैंड होल्डिंग सहायता:**
   - शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना : राज्य ने 14621 ग्राम पंचायतों के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। 4 जिलों को कवर करने वाली 2885 पेसा ग्राम पंचायतों के साथ 3320 ग्राम पंचायतों के लिए सहायता प्रदान करने की संस्तुति की गई। शेष 29 जिलों के लिए, प्रति जिला 15 ग्राम पंचायतों की संस्तुति की गई, जिससे कुल 435 ग्राम पंचायतें हो गईं।
   - पीडीआई विश्लेषण के बाद कमियों को दूर करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए सहायता राशि : राज्य ने 287 ब्लॉकों के लिए इसकी अनुशंसा की थी। राशि की अनुशंसा नहीं की गई क्योंकि उन्हीं ब्लॉकों के लिए प्रशिक्षण पहले ही प्रस्तावित किया जा चुका है।

ii. **पंचायतों को ई-सक्षम बनाना:** राज्य ने 33 डीपीएमयू और 248 बीपीएमयू के लिए कंप्यूटर और सहायक उपकरण प्रस्तावित किए । इस योजना के तहत, कंप्यूटर ग्राम पंचायतों के लिए अनुमेय हैं, न कि जिला और ब्लॉक स्तर पर, इसलिए इसकी सिफारिश नहीं की गई।

iii. **एसपीआरसी/डीपीआरसी निर्माण:** एक डीपीआरसी के निर्माण की सिफारिश की गई तथा राज्य से इस केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थान के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई।

iv. **प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास:** प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास की सिफारिश की गई और राज्य को इन मॉड्यूल को अन्य राज्यों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके।

v. इसके अलावा, राज्य ने राज्य स्तर पर उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के अभिसरण को सुगम बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया। समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती

राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती ममता वर्मा के मार्गदर्शन में अभिसरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है और गुजरात इस पोर्टल का पायलट प्रोजेक्ट बना सकता है, जिससे विभिन्न योजनाओं से प्राप्त निधियों का बेहतर मूल्यांकन और एकीकरण हो सकेगा।

2.4 **सीईसी का निर्णय** : गुजरात सरकार द्वारा की गई प्रगति के आधार पर, समिति ने गुजरात की वार्षिक कार्य योजना पर पुनर्विचार किया और एएपी 2024-25 के लिए 120.36 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की।

गुजरात राज्य के लिए अनुमोदित बजट सारांश **अनुलग्नक-V** पर प्रस्तुत है।

कार्यसूची आइटम नंबर 3: वार्षिक कार्य योजना (2024-25) का अनुमोदन: पंजाब

3.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंजाब की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर 24 मई, 2024 को आयोजित तीसरी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के दौरान विचार किया गया। राज्य ने 74.735 करोड़ रुपये की एएपी प्रस्तुत की थी, जिसमें 1,85,500 प्रतिभागियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) शामिल था। वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब में आरजीएसए के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा की गई और यह पाया गया कि 2023-24 के दौरान लक्षित प्रशिक्षण का केवल 6% ही आयोजित किया गया था और वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य के पास लगभग 26.49 करोड़ रुपये की पर्याप्त अप्रयुक्त राशि बची हुई थी।

3.2 2023-24 के दौरान की गई धीमी प्रगति को देखते हुए, सीईसी ने एएपी 2024-25 की प्रस्तावित गतिविधियों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, जिसे राज्य अधिकार प्राप्त समिति (एसईसी) ने मंजूरी दे दी थी और राज्य को प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, प्रस्तावित प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों का कम से कम 25% सितंबर 2024 तक पूरा किया जाना चाहिए। सितंबर, 2024 के अंत में कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति का आकलन किया जाएगा और की गई प्रगति के आधार पर निर्णय की समीक्षा की जाएगी।

3.3 सीईसी के उपरोक्त निर्णय के आधार पर, पंजाब सरकार ने सितंबर, 2024 तक की प्रगति साझा की और समिति ने पाया कि राज्य ने योजना के सीबी एंड टी घटक के तहत पर्याप्त प्रगति की है और प्रस्तावित प्रशिक्षणों का 26.5% हासिल किया है, जो दिए गए लक्ष्य से अधिक है। इसके अलावा, समिति ने चुनावों के तुरंत बाद ईआर के अभिविन्यास प्रशिक्षण को पूरा करने का भी सुझाव दिया।

3.4 सीईसी का निर्णय : पंजाब सरकार द्वारा की गई प्रगति के आधार पर, समिति ने पंजाब की वार्षिक कार्य योजना पर पुनर्विचार किया और 74.735 करोड़ रुपये की राशि वाली वार्षिक कार्य योजना 2024-25 को मंजूरी दी।

पंजाब राज्य के लिए अनुमोदित बजट सारांश **अनुलग्नक-VI** पर है।

कार्यसूची आइटम संख्या 4: गोवा- वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का संशोधन

4.1. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गोवा के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) 11 जुलाई, 2024 को आयोजित छठी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक के समक्ष रखी गई। गोवा ने 2.84 करोड़ रुपये की एएपी प्रस्तुत की थी, जिसमें 3,135 प्रतिभागियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) शामिल था। सीईसी की बैठक के दौरान, राज्य को एक्सपोजर विजिट (राज्य के बाहर), क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का मूल्यांकन, कार्बन तटस्थता पहल को बढ़ावा देने पर विशेष परियोजना आदि सहित एएपी को बढ़ाने की सलाह दी गई थी।

4.2 समिति के सुझाव के आधार पर, गोवा राज्य सरकार ने विभिन्न घटकों को शामिल करते हुए ए.ए.पी. को संशोधित किया है (प्रतिलिपि **अनुबंध VII के रूप में संलग्न है)।**

4.3 सीईसी ने गोवा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित वार्षिक कार्य योजना पर विचार किया और संशोधित आरजीएसए के तहत स्वीकार्य घटकों को मंजूरी दी। संशोधित वार्षिक कार्य योजना की राशि 3.998 करोड़ रुपये है।

4.4 विशेष परियोजना : राज्य ने कार्बन तटस्थता के लिए 0.50 करोड़ रुपये की लागत वाली एक विशेष परियोजना का प्रस्ताव रखा। समिति ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और राज्य से डीपीआर प्रस्तुत करने तथा अंतिम मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कार्य पूरा करने का अनुरोध किया।

4.5 एसआईआरडी, गोवा के प्रतिनिधि ने युवा सभा की एक पहल के बारे में भी जानकारी दी जिसे राज्य ने शुरू किया है और इसके लिए समर्थन का अनुरोध किया। समिति ने पहल की सराहना की और विस्तृत जांच और फ़ाइल पर धन जारी करने के लिए अवधारणा नोट/प्रस्ताव साझा करने का अनुरोध करते हुए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की।

गोवा राज्य के लिए अनुमोदित बजट सारांश अनुबंध -VIII पर है।

कार्यसूची आइटम नंबर 5: महाराष्ट्र की वार्षिक कार्य योजना के संशोधन का कार्यसूची

5.1 5 अप्रैल, 2024 को आयोजित दूसरी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक में महाराष्ट्र सरकार की वार्षिक कार्य योजना पर विचार किया गया। समिति ने महाराष्ट्र की वार्षिक कार्य योजना पर विचार किया और 379.74 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी।

5.2 इसके बाद, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) और पंचायत बुनियादी ढांचे के घटकों के तहत वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत एएपी में संशोधनों का अनुरोध किया है। संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा राज्य कार्यकारी समिति की मंजूरी के साथ साझा किया गया है। घटकवार संशोधित गणना **अनुलग्नक- IX(i) में दी गई है।**

5.3 सीईसी का निर्णय : **सीईसी ने** प्रस्ताव पर विचार किया **और** एएपी में करोड़ ₹0.04 की वृद्धि के साथ संशोधन को **मंजूरी** दी।

महाराष्ट्र का संशोधित बजट सारांश **अनुलग्नक-X में है।**

कार्यसूची आइटम नंबर 6: वित्त वर्ष 2024-25 में पंचायत भवन के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के अव्ययित शेष राशि पर पुनर्विचार - पश्चिम बंगाल

6.1 पश्चिम बंगाल ने संशोधित आरजीएसए के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 35 ग्राम पंचायत भवनों (पीबी) के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 42,15,988/- रुपये की देनदारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राज्य ने उल्लेख किया है कि पीबी के निर्माण के लिए दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों की कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को पहली किस्त के रूप में 3,50,00,000/- रुपये (3.50 करोड़ रुपये) की राशि आवंटित की गई थी। [जिसमें] से 3,07,84,012/- रुपये का उपयोग किया गया और वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर 42,15,988/- रुपये की राशि एसएनए खाते में वापस कर दी गई। चूंकि पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के समापन से पहले 29.02.2024 को आयोजित बैठक में सीईसी द्वारा विचार किया गया था, इसलिए मामला समिति के समक्ष नहीं लाया जा सका।

6.2 सीईसी का निर्णय : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक कार्य योजना में दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में 35 पीबी के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 42,15,988/- रुपये जारी करने के प्रस्ताव पर सीईसी द्वारा विचार किया गया और उसे मंजूरी दी गई। तदनुसार, पश्चिम बंगाल की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष पश्चिम बंगाल का संशोधित बजट सारांश **अनुलग्नक-X में रखा गया है।**

कार्यसूची मद संख्या 7: अरुणाचल प्रदेश- पंचायत भवन-सहस्थापन-सामान्य सेवा केंद्र की 400 इकाइयों पर विचार के लिए प्रस्ताव।

7.1 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अरुणाचल प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर 29 मई, 2024 को आयोजित वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चौथी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के दौरान विचार किया गया। समिति ने अरुणाचल प्रदेश की 131.52 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। हालांकि, बैठक के दौरान 80.00 करोड़ रुपये की लागत से 400 पंचायत भवन-सहस्थापन -सामान्य सेवा केंद्रों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, बशर्ते कि राज्य कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा करेगा और फिर कार्य को निष्पादित करने के लिए बजट सारांश में वृद्धि की मांग करने के लिए एमओपीआर से संपर्क करेगा।

7.2 समिति के निर्णय के अनुसार, राज्य ने 400 पंचायत भवन-सहस्थापन-सामान्य सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए स्थान की पहचान कर ली है तथा 260 ग्राम पंचायतों के भौगोलिक निर्देशांकों के साथ मंत्रालय के साथ सूची साझा कर दी है। शेष 140 भौगोलिक निर्देशांक एक सप्ताह के भीतर साझा कर दिए जाएंगे।

7.3 **सीईसी का निर्णय**: **सीईसी ने** प्रस्ताव पर विचार किया **और** अरुणाचल प्रदेश राज्य में 400 पंचायत भवन-सहस्थापन-सामान्य सेवा केंद्रों के निर्माण के लिए **अनुमोदन** प्रदान किया।

अरुणाचल प्रदेश का संशोधित बजट सारांश **अनुबंध - XI पर प्रस्तुत है**

कार्यसूची आइटम नंबर 8: तालिका कार्यसूची- महाराष्ट्र के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) घटक के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बकाया देनदारियों का निपटान

8.1 महाराष्ट्र सरकार ने, जिसका प्रतिनिधित्व पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव और अन्य अधिकारियों ने किया, सीईसी की अनुमति लेने के बाद, समिति को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए प्रशिक्षणों के पुनर्वैधीकरण के लंबे समय से लंबित मुद्दे से अवगत कराया, जो 2023-24 के लिए एएपी का हिस्सा थे, लेकिन इन प्रशिक्षणों को आयोजित करने वाली प्रशिक्षण एजेंसियों को धन की कमी के कारण धन जारी नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 32.97 करोड़ रुपये की देनदारी हो गई। राज्य ने संस्थान-वार लंबित भुगतानों का विधिवत प्रमाणित सारांश प्रदान किया है (**प्रतिलिपि अनुबंध- XII (i**) पर है। इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

वर्ष 2023-24 के लिए संस्थावार सीबी एंड टी बकाया देयता		
क्र. सं.	**संस्थानों**	**बकाया देयता (करोड़ रु. में)**
1	सिर्ड, यशदा, पुणे	0.43
2	जिला परिषद	11.37
3	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र	8.6
4	पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र	12.12
5	समग्र प्रशिक्षण केंद्र	0.44
	कुल	**32.97**

8.2 राज्य ने ऐसे सभी प्रशिक्षणों का ब्यौरा और संस्थानवार प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षित प्रतिभागियों का विधिवत प्रमाणित सारांश **अनुलग्नक-XII (ii) भी उपलब्ध कराया है** । इसके अतिरिक्त, राज्य ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक वचनबद्धता **अनुबंध -XII (iii) प्रस्तुत किया है**, जिसमें पुष्टि की गई है कि सभी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) गतिविधियाँ सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई थीं, और भुगतान केवल इन एजेंसियों को ही वितरित किए जाएंगे।

8.3 उपरोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने पूर्वोक्त पुनर्वैधीकरण के लिए सीईसी की मंजूरी मांगी ताकि राज्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीबी एंड टी घटक के तहत वित्त वर्ष 2023-24 की बकाया देनदारियों का निपटान कर सके।

<u>सीईसी का निर्णय</u> : समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और 2023-24 के दौरान आयोजित प्रशिक्षणों के पुनर्मूल्यांकन के लिए स्वीकृति प्रदान की, जिसके लिए सरकारी प्रशिक्षण एजेंसियों के संबंध में 32.97 करोड़ रुपये की उपरोक्त देनदारियाँ बकाया हैं, बशर्ते कि प्रशिक्षणों को विधिवत निर्धारित किया गया हो और टीएमपी पर अपलोड किया गया हो। सीईसी ने सामान्य तौर पर यह भी निर्देश दिया कि किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ऐसी कोई देनदारियाँ नहीं बनाई जाएँगी और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीबीएंडटी गतिविधियाँ करने से पहले सीबीएंडटी घटक में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो।

****

अनुबंध- I

मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी/डीएलएमटी/बीएलएमटी), अतिथि संकायों और प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों के लिए मानदेय का मानकीकरण ।

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

1 प्रस्तावना:-

1.1 पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक विकास के चालक और स्थानिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने कई पोर्टल आधारित पहलों जैसे ई-ग्राम स्वराज / ऑडिट ऑनलाइन / टीएमपी / स्वामित्व / पीडीपी की तैयारी / स्थानिक योजना और मोबाइल ऐप आधारित पहल जैसे मेरी पंचायत, जीएस निर्णय आदि शुरू की हैं। जमीनी स्तर पर इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गहन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ अपरिहार्य हैं।

1.2 इस प्रयोजन के लिए, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमित रूप से सामान्य अभिविन्यास प्रशिक्षण, पुनश्चर्या कार्यक्रम, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण, तथा विषयगत एवं विशेष प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं, ताकि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कार्यरत आर्थिक प्रतिनिधियों, कार्यपालकों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को सक्षम बनाया जा सके।

1.3 राज्य स्तर पर इन नियमित सीबी एंड टी गतिविधियों के अलावा, पंचायती राज मंत्रालय ने प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी), संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी), एकीकृत विकास योजना (आईडीपी) आदि आयोजित करने के लिए आईआईएम, आईआईपीए, आईआरएमए, कलिंगा आदि जैसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर विभिन्न पहल की हैं, ताकि पंचायती राज संस्थानों के ईआर और पदाधिकारियों के लिए समग्र, समावेशी और व्यापक जानकारी सुनिश्चित की जा सके।

1.4 उपर्युक्त सीबी एंड टी गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, संशोधित आरजीएसए के तहत स्वीकार्य गतिविधियों के लागत मानदंड 9.1.1 में उल्लिखित किए गए हैं। प्रति प्रतिभागी प्रति दिन इकाई लागत निम्नानुसार उल्लिखित है:

संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत ई.आर. एवं पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रतिभागी प्रति दिन इकाई लागत		
क्र. सं.	**घटक**	**लागत**
1	**राज्य** स्तर पर कार्यकारी निदेशक, कार्यकर्ता, संसाधन व्यक्ति, मास्टर प्रशिक्षक आदि को प्रशिक्षण	**2500** /- रु. प्रति प्रतिभागी प्रति दिन
2	**जिला** स्तर पर कार्यकारी निदेशक, कार्यकर्ता, संसाधन व्यक्ति, मास्टर प्रशिक्षक आदि को	**1500** /- रु. प्रति प्रतिभागी प्रति दिन

	प्रशिक्षण	
3	आपातकालीन कर्मियों, कार्यकर्ताओं, संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों आदि के लिए ग्राम पंचायतों के **ब्लॉक स्तर के समूहों** में प्रशिक्षण	**1000** /- रु. प्रति प्रतिभागी प्रति दिन
4	आरजीएसए-वर्चुअल/ऑनलाइन मोड के तहत ईआर और **पंचायत कार्यकर्ताओं** के प्रशिक्षण के लिए इकाई लागत	**5000 /-** रु. प्रतिदिन (प्लेटफॉर्म/उपकरणों की खरीद/संसाधन व्यक्ति पारिश्रमिक/सामग्री लागत/संगठनात्मक व्यय/शिक्षण सामग्री का विकास/अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण आदि पर व्यय)

2. राज्यों में मानदेय की दरों में भिन्नता:

2.1 यद्यपि उपरोक्त सूची से यह स्पष्ट है कि प्रति प्रतिभागी प्रति दिन इकाई लागत **सभी राज्यों के लिए सभी स्तरों पर समान रूप से वितरित की जाती है** , लेकिन संसाधन व्यक्तियों (इन-हाउस संकाय, अतिथि वक्ता और प्रख्यात संसाधन व्यक्ति आदि) को प्रदान किए जाने वाले मानदेय की दर को देखने के बाद, यह देखा गया है कि प्रत्येक राज्य ने प्रशिक्षण के समान स्तर के लिए मानदेय की अलग-अलग दरें अपनाई हैं। इसका तुलनात्मक विश्लेषण (कुछ राज्यों के संबंध में) नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:-

राज्य	**संसाधन व्यक्ति की श्रेणी या प्रशिक्षण का स्तर**	**मानदेय की दर**
कर्नाटक	राज्य स्तर पर आयोजित **विशेष कार्यक्रमों** में सत्र आयोजित करने वाले विशेषज्ञ संसाधन व्यक्तियों के लिए	1500/सत्र
	सरकारी अधिकारियों सहित विशेषज्ञ संसाधन व्यक्तियों के लिए	800/सत्र
	संस्थान के विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण समन्वयकों (डीटीसी) को मानदेय	600/सत्र
पश्चिम बंगाल	किसी भी बाहरी संसाधन व्यक्ति	रु.200/सत्र (1 घंटे का)

	(अर्थात ईटीसी/डीटीसी में प्रशिक्षण के लिए तैनात लोगों के अलावा) को मानदेय, यदि तैनात किया गया हो	रु.300/- प्रति आधे दिन का सत्र
		रु.500/- प्रति पूर्ण-दिवसीय सत्र
झारखंड मानदेय की दर निम्नलिखित के आधार पर तय की जाती है: - क. प्रशिक्षण का स्तर (राज्य / ब्लॉक / जिला) ख. प्रशिक्षकों का ग्रेड, जो उनके प्रमाणन (मुख्य रूप से एनआईआरडी और पीआर के साथ), अनुभव और योग्यता पर आधारित है	**राज्य स्तरीय प्रशिक्षण**	
	ग्रेड ए प्रशिक्षक	2000/सत्र
	जिला स्तरीय प्रशिक्षण	
	ग्रेड ए प्रशिक्षक	1600/सत्र
	ग्रेड बी प्रशिक्षक	1500/सत्र
	ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण	
	ग्रेड ए प्रशिक्षक	1400/सत्र
	ग्रेड बी प्रशिक्षक	1300/सत्र
	ग्रेड सी प्रशिक्षक	1200/सत्र
महाराष्ट्र	एसएलएमटी	1500/सत्र
	डीएलएमटी	1000/सत्र
	बीएलएमटी	1000/सत्र
उत्तर प्रदेश	एसएलएमटी	2500/सत्र
	डीएलएमटी	2000/सत्र
	बीएलएमटी	1500/सत्र
	प्रख्यात संसाधन व्यक्ति	5000/सत्र

2.2 यह देखा जा सकता है कि सभी राज्यों में प्रत्येक स्तर पर संसाधन व्यक्तियों को दिए जाने वाले मानदेय की दर में महत्वपूर्ण भिन्नता है।

3. भारत सरकार की प्रमुख प्रशिक्षण एजेंसियों में मानदेय की दर:

3.1 इस संबंध में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और मंत्रालयों द्वारा वर्तमान में प्रदान किए जाने वाले मानदेय की दर का तुलनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है: -

क्र. सं.	संगठन का नाम	कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र/पत्र जारी करने की तिथि	सेवारत निकाय	सेवानिवृत्त निकाय	प्रख्यात संसाधन व्यक्ति	ऊपरी सीमा (यदि कोई हो)
1	डीओपीटी एवं एलबीएसएनएए	03.02.2009	500/- प्रति सत्र	1000/- प्रति सत्र	4000/-प्रति सत्र	सेवारत संकायों के लिए 30 दिन या वर्ष में 60 सत्र
2	आईसीएआर, कृषि मंत्रालय	12.06.2014	500/- प्रति सत्र	------	1000/- प्रति सत्र	*1000/- प्रतिदिन इन-हाउस एवं * अतिथि संकाय के लिए 2000/- प्रतिदिन
3	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स अकादमी वित्त मंत्रालय	01.03.2016	1000/- प्रति सत्र	2000/- प्रति सत्र	8000/- प्रति सत्र	-------
4	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	16.06.2016	500/- प्रति सत्र	-------	1000/-प्रति सत्र	*एक वित्तीय वर्ष में 5000/- रुपये (इन-हाउस फैकल्टी के लिए) *अतिथि संकाय के लिए कोई सीमा नहीं
5	रक्षा लेखा महानियंत्रक	29.03.2017	750/- प्रति सत्र	1500/-प्रति सत्र	4000/-प्रति सत्र	--------
6	**आईएसटीएम**	डीओपीटी द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार स्थानीय यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के साथ				

3.2 इसके अलावा, **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर)** ने ग्रामीण विकास मंत्रालय/एनएलआरएम/एसएलआरएम/एनएमएमयू/एनआईआरडीपीवाई-हैदराबाद और एनआरएलएम आरसी-गुवाहाटी के लिए सीबीएंडटी से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट कार्य अनुबंध या जरूरत आधारित तकनीकी सहायता पर राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति (एनपीआर) को नियुक्त करने की नीति

अपनाई है। एनआईआरडीपीआर ने **पैनल में शामिल एनपीआर के लिए परिलब्धियों/मानदेय के लिए ग्रेडवार पात्रता अपनाई है,** जिसका उल्लेख इस प्रकार है:

क्र. सं.	**संसाधन व्यक्ति की श्रेणी**	**वर्षों का अनुभव**	**मानदेय/दिन**
1	राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति (एनपीआर), श्रेणी - **"क 1"**	>20 वर्ष	रु 10000/-
2	राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति (एनपीआर), श्रेणी - **"क"**	>15 वर्ष	रु 7500/-
3	राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति (एनपीआर), श्रेणी - **"ख"**	05 वर्ष और उससे अधिक	रु 5000/-
4	राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति (एनपीआर), श्रेणी - **"ग"**	>03 वर्ष	रु 3000/-

4. मानदेय की मानकीकृत दर की आवश्यकता:

4.1 जमीनी स्तर पर संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण मास्टर प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता और प्रतिधारण सुनिश्चित करना अनिवार्य है, जिसमें उचित स्तर का मानदेय भी सहायक होगा। अपर्याप्त मानदेय के कारण गुणवत्तापूर्ण संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता में कमी भी हो सकती है, जिससे बदले में, निर्देश की गुणवत्ता और प्रशिक्षण सत्रों की डिलीवरी प्रभावित हो सकती है।

4.2 **उपरोक्त तीनों खंडों (राज्य पंचायती राज संस्थान/प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान और भारत सरकार और एनआईआरडीपीआर के मंत्रालय) के तुलनात्मक विश्लेषण और उनके द्वारा संबंधित संसाधन व्यक्तियों को दिए जाने वाले मानदेय की दरों में व्यापक भिन्नता** के आधार पर , असमानता को समाप्त करने और सभी स्तरों पर संसाधन व्यक्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानदेय की दर के मानकीकरण की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसलिए, मास्टर प्रशिक्षकों के लिए **मानदेय की दरों को मानकीकृत करने का प्रस्ताव है।**

5. सीईसी के विचारार्थ प्रस्ताव:

5.1 तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में **विभिन्न स्तरों पर मास्टर प्रशिक्षकों, अतिथि संकायों और प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों (प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित या संविदा के आधार पर लगे संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों को छोड़कर)** के लिए मानदेय की दरों को मानकीकृत करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव सीईसी के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है:

क्र. सं.	स्तर	स्वयं का / आंतरिक निकाय	मानदेय की दर (रु. में)	यदि कोई टिप्पणी हो)
क	**संसाधन व्यक्ति राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर श्रेणियाँ**	एसएलएमटी	2000/सत्र	प्रतिदिन सत्र पर कोई प्रतिबंध नहीं
		डीएलएमटी	1500/सत्र	
		बीएलएमटी	1500/सत्र	
ख	**अन्य सरकारी संगठनों से अतिथि संकाय** (अधिकारी जिनके पास 10 वर्ष का कार्य अनुभव और डोमेन संबंधी ज्ञान हो)	राज्य स्तर	3000/सत्र	एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक सत्र नहीं दिन
		जिला स्तर	2000/सत्र	
		ब्लॉक स्तर	1500/सत्र	
ग	**प्रख्यात संसाधन व्यक्ति**	**श्रेणी क:** भारत सरकार में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर का पद, या राज्य सरकार में समकक्ष पद, जिसके पास डोमेन संबंधी ज्ञान हो। राष्ट्रीय ख्याति के प्रतिष्ठित व्यक्ति	6000/सत्र	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक से अधिक सत्र नहीं
		श्रेणी ख: भारत सरकार के निदेशक या राज्य सरकार में समकक्ष।	4000/सत्र	

नोट : उपरोक्त मानक दरें आईओई/आईआरएमए/आईआईपीए द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर लागू नहीं होंगी, जिनकी मानदेय की अपनी दरें हैं।

अनुबंध- II

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों के लिए दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वित्तपोषण

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
अक्टूबर, 2024

1. उद्देश्य:-

1.1 संशोधित आरजीएसए का एक प्रमुख उद्देश्य, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए क्षमता विकास पर ध्यान केन्द्रित करना है, ताकि पंचायतें सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

1.2 जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निरंतर सीबी एंड टी अभ्यास/ कार्य किया जा रहा है, यह देखा गया है कि जिला और ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्य रूप से वैचारिक पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रबंधन, शासन, नेतृत्व, वित्तीय प्रबंधन, ग्रामीण विकास योजनाएं, डिजिटल साक्षरता, सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक नीतियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उचित रूप से शामिल नहीं किया गया है, जो ग्रामीण/पंचायत विकास परियोजनाओं की समझ और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं।

1.3 इसलिए, मंत्रालय ने पीआरआई के अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता के निर्माण के लिए उत्कृष्टतापूर्ण संस्थानों (आईओई) और राष्ट्रीय ख्याति के अन्य संस्थानों के साथ पीआरआई के अधिकारियों के लिए **दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों (**केवल एक वर्ष की अवधि तक**)** के व**ित्तपोषण के लिए** योजना की अवधारणा बनाई है। यह पहल जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने, प्रभावी नेतृत्व को बढ़ावा देने और सतत ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

2. प्रवेश के लिए पात्र संस्थान:

2.1 देश भर में विश्व स्तर पर प्रशंसित संस्थान हैं, जिनमें आईआईएम, आईआईटी, आईआरएमए आदि शामिल हैं। इन संस्थानों की भौगोलिक पहुंच देश के अधिकांश क्षेत्रों तक फैली हुई है; इस प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों द्वारा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) कार्यक्रमों के लिए इनका लाभ उठाया जा सकता है।

2.2 दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए यह योजना, केवल एक वर्ष की अवधि तक, पैरा 2.4 में उल्लिखित विषय क्षेत्रों में नियमित कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए लागू होगी, संस्थानों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में, जो उस शैक्षणिक वर्ष से पहले के वर्ष की *राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क* (*एनआईआरएफ*) की रैंकिंग में दिखाई देती है जिसके लिए आवेदन किया गया है, प्रायोजन के लिए पात्र होगी:

(i) "सर्वोच्च समग्र श्रेणी" के अंतर्गत शीर्ष 50 संस्थान/विश्वविद्यालय
"शीर्ष प्रबंधन श्रेणी" के अंतर्गत शीर्ष 25 संस्थान

(ii) "शीर्ष कानून श्रेणी" के अंतर्गत शीर्ष 25 विश्वविद्यालय/संस्थान
(iii) "शीर्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र श्रेणी" के अंतर्गत शीर्ष 25 विश्वविद्यालय/संस्थान

2.3 इच्छुक अधिकारी सीधे संस्थान/विश्वविद्यालय में आवेदन करेंगे तथा बिन्दु संख्या 2.4 में उल्लिखित विषय क्षेत्रों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश/चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे।

2.4 कार्यक्रमों/प्रशिक्षणों/पाठ्यक्रम (जिसके लिए पंचायती राज के अधिकारी आवेदन करेंगे) की शिक्षाशास्त्र में समूह अभ्यास, केस स्टडी, अनुभवात्मक शिक्षा, इंटरैक्टिव व्याख्यान और फील्ड ट्रिप शामिल होने चाहिए। अध्ययन के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्र प्रायोजन के लिए पात्र होंगे:

क) ग्रामीण विकास / ग्रामीण प्रबंधन - ग्रामीण समाज और संस्थाएं, सामाजिक सशक्तिकरण का प्रबंधन, सतत कृषि का प्रबंधन, ग्रामीण विकास की अवधारणाएं, मॉडल और कार्यक्रम, ग्रामीण बाजार और विपणन प्रणाली, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि में ऊर्जा की आवश्यकता और उसका प्रबंधन, सतत ग्रामीण विकास के लिए रणनीतियां, उद्योग और कृषि-व्यवसाय आदि।

ख) सामाजिक कार्य और सामाजिक नियोजन - सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए समाजशास्त्र, मानव विकास और व्यवहार, अर्थव्यवस्था और सहयोग, सामाजिक केसवर्क, स्थानीय स्वशासन का परिचय, भारतीय सामाजिक समस्याएं, लिंग अध्ययन, जनसंख्या शिक्षा, सामाजिक कार्य अनुसंधान, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, आदिवासी जीवन, कल्याण संगठन का प्रबंधन, भारत में सामाजिक नीतियां आदि।

ग) सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण - पंचायती राज संस्थाओं, पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई), बजट, लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग, जमीनी स्तर पर स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के सृजन सहित वित्तीय प्रबंधन की मूल बातें आदि के माध्यम से जमीनी स्तर पर एसडीजी को प्राप्त करने के लिए व्यापक रूपरेखा और उपकरण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना।

घ. नेतृत्व और संचार - ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों में नेतृत्व और टीम वर्क के महत्व, सामूहिक निर्णय लेने, सुलह, प्रभावी संचार और जनसंपर्क, मीडिया संबंध, सामुदायिक सहभागिता, संघर्ष समाधान आदि पर ध्यान केंद्रित करना।

ड. डिजिटल परिवर्तन और आईसीटी - कार्यक्रम को पंचायत शासन के लिए आईसीटी की क्षमता को समझने में मदद करने और पारदर्शिता, जवाबदेही और नवाचारों, ऑडिट ऑनलाइन, अनुबंध प्रबंधन, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि के लिए आईसीटी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

च. पंचायत विकास योजना - गुणवत्तापूर्ण पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया, स्थानिक योजना, सामुदायिक आवश्यकताओं की पहचान, संसाधन जुटाना, निधियों का प्रभावी अभिसरण, कार्बन तटस्थता, पीडीपी का ऊर्ध्वाधर एकीकरण, आपदा प्रबंधन आदि पर ध्यान केंद्रित करना।

छ. परियोजना प्रबंधन - इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को ग्रामीण विकास पर केंद्रित रणनीतिक परियोजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों को डिजाइन करने, लागू करने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण योग्यताओं से लैस करना है। यह व्यापक जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन पर भी जोर देगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रतिभागी संभावित चुनौतियों की पहचान करने, जोखिमों को कम करने और ग्रामीण परिवेश में सफल और टिकाऊ परिणामों की ओर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में कुशल हैं।

3. दायरा/ स्कोप:

3.1 यह योजना निम्नलिखित पर लागू होगी:

क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी नियमित पंचायत कार्यकारी अधिकारी/पंचायत विकास अधिकारी/पंचायत सचिव या समकक्ष पद तथा विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं में सेवा के लिए भर्ती किए गए पद।

ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ)/ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी (बीपीआरओ)/ब्लॉक पंचायत विकास अधिकारी या समकक्ष पदों पर कार्यरत सभी नियमित अधिकारी/ कर्मचारी , जो पंचायती राज विभाग के कैडर का हिस्सा हैं और जिन्हें विशेष रूप से पंचायती राज निदेशालय या पीआरआई में सेवा देने के लिए भर्ती किया गया है। इसमें सहायक निदेशक/उप निदेशक और उससे ऊपर के विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज निदेशालय में कार्यरत सभी अधिकारी शामिल होंगे।

ग) जिला/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात जूनियर इंजीनियर और उससे ऊपर के सभी नियमित इंजीनियर, जो पंचायती राज विभाग के कैडर का हिस्सा हैं और विशेष रूप से पीआरआई में सेवा देने के लिए भर्ती किए गए हैं।

3.2 इन प्रशिक्षणों/पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में भाग लेकर, अधिकारियों को प्रभावी शासन रणनीतियों को लागू करने, वित्तीय नियोजन, संसाधन प्रबंधन में सुधार करने, कुशल प्रशासन के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने और भागीदारी विकास में समुदायों को शामिल करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होना चाहिए, जिससे ग्रामीण विकास की समग्र वृद्धि में योगदान मिल सके।

3.3 मूल रूप से, इन प्रशिक्षणों/पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में संशोधित आरजीएसए के कार्यान्वयन ढांचे के पैरा 8.5.4 के अनुसार क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) के राज्य घटक के अंतर्गत उल्लिखित

विभिन्न विषयों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय स्व-शासन, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सहित पंचायत वित्त, स्वयं के स्रोत से प्राप्त राजस्व (ओएसआर), ई-ग्रामस्वराज, ऑनलाइन लेखा परीक्षा, पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण, विशेष रूप से 9 विषयों पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण, ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई), कार्बन तटस्थता, अनुबंध प्रबंधन शामिल हैं।

4. पात्रता मानदंड:-

4.1 इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पंचायती राज पदाधिकारी/कर्मचारी को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करना होगा:

क. पीआरआई/पीआर विभाग में 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक सेवा की होनी चाहिए।

ख. सेवा रिकॉर्ड साफ होना चाहिए तथा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए।

ग. पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में न्यूनतम **'बहुत अच्छा' ग्रेडिंग होनी चाहिए।**

घ. आवेदक सतर्कता की दृष्टि से स्पष्ट होना चाहिए।

ङ. आयु सीमा: 50 वर्ष से अधिक नहीं (आवेदन वर्ष की 1 जुलाई तक)।

5. आवेदन प्रक्रिया:-

5.1 ऐसे कार्यक्रम/प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम की अवधि केवल एक शैक्षणिक वर्ष तक होनी चाहिए (एक वर्ष या उससे कम अवधि के सभी कार्यक्रम) । यदि कार्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष से अधिक है, तो अधिकारी को कार्यक्रम की अतिरिक्त अवधि का खर्च वहन करना होगा।

5.2 यह योजना केवल उन राज्यों पर लागू होगी जहाँ पीआरआई प्रणाली कार्यात्मक है। एक वर्ष में प्रायोजित किए जा सकने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या संघ शासित प्रदेश और गोवा राज्य में 5 (पांच), पूर्वोत्तर या पर्वतीय राज्यों में 10 (दस) और अन्य राज्यों में 20 (बीस) होगी।

5.3 विभिन्न श्रेणियों में आवेदकों की उपलब्धता के अधीन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में लागू आरक्षण प्रायोजन में किया जाएगा।

5.4 विभिन्न श्रेणियों में महिला आवेदकों की उपलब्धता के अधीन, कुल प्रायोजकता का 50% महिलाओं को दिया जाएगा।

5.5 पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले अधिकारी एमओपीआर के प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करेंगे। आरजीएसए के तहत दीर्घकालिक घरेलू कार्यक्रम के लिए आवेदन का प्रारूप **परिशिष्ट-II में संलग्न है।**

5.6 **परिशिष्ट-III** में दिए गए प्रारूप में सीधे टीएमपी पर अपलोड/अग्रेषित किया जाना चाहिए ।

5.7 अभ्यर्थियों के चयन में कैडर नियंत्रण प्राधिकरण अंतिम प्राधिकारी होगा ।

5.8 जब कोई अधिकारी इस कार्यक्रम के लिए चयनित हो जाता है, तो वह अपेक्षित मंजूरी, जैसे सतर्कता मंजूरी, एसीआर ग्रेडिंग आदि के साथ अपने नियंत्रण प्राधिकारी के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत राज्य पंचायती राज विभाग को प्रायोजन के लिए आवेदन कर सकता है।

5.9 एसीआर /एपीएआर ग्रेडिंग/सतर्कता मंजूरी अनिवार्य रूप से भरी जानी चाहिए। सतर्कता मंजूरी नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी चाहिए।

6. वित्तीय निहितार्थ:

6.1 शामिल किए गए खर्चों में प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/ट्यूशन शुल्क, यात्रा और आवास शुल्क शामिल होंगे, जो कि संशोधित आरजीएसए के कार्यान्वयन ढांचे के पैरा 8.5.5 के अनुसार क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) के राज्य घटक के तहत कवर किए जाएंगे। " पीआरआई को आर्थिक विकास के चालक और स्थानिक विकास के नोड के रूप में विकसित करने के लिए तैयार करने के लिए, सीबी एंड टी को एक नए 'इको-सिस्टम' दृष्टिकोण के साथ देखना आवश्यक है, जिसमें सभी हितधारक समग्र, समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने के लिए पीआरआई की सुविधा और समर्थन के लिए एक साथ आते हैं। इसलिए, ईआर को सुसज्जित करने की आवश्यकता है, जिन्हें हर पांच साल में नए प्रवेशकों के रूप में चुना जाता है और पीआरआई के विभिन्न स्तरों पर अन्य सभी हितधारकों को उपरोक्त दृष्टि को साकार करने में सक्षम बनाने के लिए।"

6.2 प्रति प्रतिभागी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये होगी। इस सीमा से अधिक का कोई भी व्यय प्रायोजित अधिकारी को स्वयं वहन करना होगा।

6.3 चूंकि एक वर्ष में प्रायोजित किए जा सकने वाले उम्मीदवारों की संख्या संघ शासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार द्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख) तथा गोवा में 5 (पांच) प्रत्येक, पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में 10 (दस) प्रत्येक और शेष 17 राज्यों में जहां पीआरआई प्रणाली संचालित है, 20 होगी, इस प्रकार कुल मिलाकर प्रति वर्ष 465 प्रतिभागी होंगे, प्रस्ताव के तहत अधिकतम वित्तीय निहितार्थ एक वर्ष में 46.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

7. कूलिंग ऑफ कंडीशन/ शीतलन अवस्था:

6.4 आरजीएसए योजना के तहत एक अधिकारी केवल एक ही दीर्घकालिक कार्यक्रम में भाग ले सकता है। हालांकि, आरजीएसए के तहत दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद, उसे पांच साल की कूलिंग-ऑफ अवधि के बाद किसी अन्य योजना के तहत दीर्घकालिक कार्यक्रम के लिए फिर से विचार किया जा सकता है।

6.5 समस्त कूलिंग-ऑफ अवधि की गणना उस वित्तीय वर्ष के अंत से की जाएगी जिसमें पाठ्यक्रम/कार्यक्रम पूरा किया गया हो।

7. निषेध:

7.1 यदि कोई अधिकारी कैडर नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भी पाठ्यक्रम में भाग लेने में विफल रहता है या पाठ्यक्रम के लिए नामांकित होने के बाद किसी भी चरण में अपना अनुरोध वापस ले लेता है, तो उसे प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में भाग न लेने पर पांच साल तक प्रतिबंध रहेगा।

7.2 जो अधिकारी अपनी राज्य सरकार/संगठन के आग्रह पर आधिकारिक अनिवार्यताओं के कारण कार्यक्रम छोड़ देते हैं, उन्हें कार्यक्रम से हटने पर आरक्षित सूची में नहीं डाला जाएगा।

7.3 यदि कोई अधिकारी उस पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के बाद किसी भी समय वापस ले लेता है जिसके लिए उसे प्रायोजित किया गया है या वह उस दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने में विफल रहता है जिसके लिए उसे प्रायोजित किया गया है, तो राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किए गए व्यय, यदि कोई हो, को अधिकारी से वसूला जा सकता है।

8. वचनबद्धता/स्वघोषणा:

8.1 अधिकारी को यह वचन देना होगा कि यदि उनके द्वारा आवेदन पत्र में कोई गलत जानकारी दी जाती है तो उनके प्रशिक्षण पर किया गया पूरा व्यय दंडात्मक ब्याज सहित उनसे वसूल किया जाएगा तथा उनके विरुद्ध सेवा नियमों/अन्य सुसंगत नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

8.2 **परिशिष्ट-I** में संलग्न है।

9. प्रायोजित उम्मीदवार द्वारा बांड का निष्पादन:-

9.1 कार्यक्रम में शामिल होने से पहले, प्रायोजित किए जा रहे उम्मीदवार को इस सीमा तक एक बांड निष्पादित करना आवश्यक है कि "यदि वह ड्यूटी फिर से शुरू करने में विफल रहता है या सेवा से इस्तीफा देता है या सेवानिवृत्त होता है या अन्यथा सेवा छोड़ देता है, पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की अवधि की समाप्ति या समाप्ति के बाद ड्यूटी पर वापस आए बिना या प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने में विफल रहता है, या ड्यूटी पर वापस आने के बाद **पाँच (5) वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय सेवा छोड़ देता** है, तो अधिकारी तुरंत सरकार को या सरकार द्वारा मांगे जाने पर, प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सभी शुल्क और व्यय का भुगतान करेगा या कर सकता है यानी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के दौरान उसे भुगतान की गई या उसके खाते में खर्च की गई सभी धनराशि जैसे वेतन और भत्ते, छुट्टी वेतन, शुल्क की लागत, यात्रा और अन्य खर्च जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वहन किए गए, उन पर ब्याज सहित" वसूली की जाएगी।

9.2 निष्पादित किए जाने वाले बांड का मॉडल ड्राफ्ट **परिशिष्ट- IV में संलग्न है,** जिसका उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त अनुकूलन के बाद किया जा सकता है।

प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन और प्रतिक्रिया:-

11.1 अधिकारियों को कार्यक्रम पूरा करने के तुरंत बाद अपने रिपोर्टिंग अधिकारी और पंचायती राज मंत्रालय को अपने कार्यक्रम के परिणाम और प्रमाण पत्र के साथ प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का केस स्टडी प्रस्तुत करना होगा।

11.2 अधिकारियों को प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के दौरान सीखी गई बातों के अनुप्रयोग/अभ्यास पहलू पर एक थीम पेपर पाठ्यक्रम पूरा होने के एक महीने के भीतर अपने रिपोर्टिंग अधिकारियों और पंचायती राज मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा।

11.3 वापस लौटने पर अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान और कौशल का प्रयोग अपने-अपने पंचायती राज संस्थानों के कामकाज में सुधार लाने के लिए करें।

11.4 इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण फीडबैक टीएमपी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जो प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षक के व्याख्यान देने के कौशल, प्रशिक्षण स्थल आदि का मूल्यांकन करके प्रशिक्षण कार्यक्रम की समग्र रेटिंग प्रदान करेगा।

12. सामान्य प्रावधान:

9.3 किसी भी गलत सूचना या शर्तों का पालन न करने पर संबंधित नियमों के अनुसार दंडात्मक ब्याज और अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ व्यय की वसूली की जाएगी।

****

परिशिष्ट ।

<u>वचनबद्धता/स्व-घोषणा प्रपत्र</u>

मैं_____ पुत्र/पुत्री श्री _____ उम्र_____ वर्ष निवासी _____एतद्द्वारा प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई है। मैं अच्छी तरह से जानता/जानती हूँ कि तथ्यों को छिपाना और गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध है और यदि मैं गलत जानकारी देने या तथ्यों को छिपाने का दोषी पाया जाता/जाती हूँ तो मुझे कैडर/सेवा नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित या जुर्माना किया जा सकता है। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि ऐसी गलत जानकारी देने या तथ्यों को छिपाने से मेरे द्वारा प्राप्त लाभ तुरंत वापस लिए जा सकते हैं।

मैं यह भी वचन देता/ देती हूँ कि स्वामित्व प्रमाण के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यदि फर्जी और नकली पाए गए तो मैं संबंधित सेवा/संवर्ग नियमों और विनियमों के अनुसार दण्डित किया जाऊँगा/। जाऊंगी।

हस्ताक्षर: _____
पूरा नाम बड़े अक्षरों में: _____
पद का नाम:_____
जगह: _____

परिशिष्ट -II

आवेदन फार्म/ प्रपत्र **व्यक्तिगत डेटा (आवेदक अधिकारी द्वारा भरा जाना है)**		
1.	**आवेदक अधिकारी की हाल की तस्वीर**	
2.	**पहला नाम**	
3.	**मध्य नाम**	
4.	**उपनाम**	
5.	**लिंग**	
6.	**जन्म तिथि**	
7.	**सेवा में शामिल होने की तिथि**	
8.	**श्रेणी (सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी)**	
9.	**अधिकारी स्तर**	
10.	**वेतन बैंड + ग्रेड वेतन**	
11.	**क्या अधिकारी को पंचायती राज विभाग के**	

	अंतर्गत संवर्ग में सेवा देने के लिए भर्ती किया गया है	
12.	**वर्तमान पदनाम**	
13.	**सम्पर्क करने का विवरण**	
14.	**ईमेल आईडी**	
15.	**कार्यालय टेलीफोन**	
16.	**मोबाइल नंबर:**	
17.	**पूरा डाक पता (कार्यालय)**	
18.	**पूरा डाक पता (निवास स्थान)**	
19.	**प्रशिक्षण से निषेध का विवरण (यदि कोई हो)** i. निषेध की स्थिति ii. निषेध की तिथि से iii. निषेध की तिथि तक	
20.	**घरेलू वित्त पोषण योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का नाम**	
21.	**प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की अवधि**	
22.	**संस्थान/विश्वविद्यालय का पता/ईमेल/संपर्क विवरण**	

23. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पिछले प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों का विवरण

(**निरस्तीरकण:** गलत सूचना/अधूरी सूचना या सूचना को दबाने की स्थिति में, अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा अपने शेष कैरियर के लिए विदेशी प्रशिक्षण से वंचित किया जाएगा।)

क्र. सं	**प्रशिक्षण का प्रकार (घरेलू, विदेशी, स्टडी**	**(i)प्रशिक्षण का नाम (ii)संस्थान**	**अवधि एवं तिथि**	**केंद्र या राज्य सरकार के वित्तपोषण/योजना/छात्रवृत्ति के अंतर्गत प्रशिक्षण?**

	लीव, सरकार से आंशिक/पूर्ण वित्तपोषण)	**(iii) राज्य**		

आवेदक का नाम_____

पद का नाम_____

तारीख_____

परिशिष्ट - III

आवेदन अग्रेषित करना

(कैडर नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) द्वारा भरा जाएगा)

1.	**क्या अधिकारी को वर्ष के किसी भी समय प्रशिक्षण के लिए छुट्टी दी जा सकती है**	
2.	**पिछले 5 वर्षों की ACR ग्रेडिंग** **(कृपया अधिकारियों की एसीआर ग्रेडिंग उपलब्ध कराएं)** केवल नवीनतम 5 एसीआर आवश्यक हैं।	
3.	**क्या एसीआर में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि है?**	
4.	**प्रायोजक विभाग से कैडर क्लीयरेंस**	
6.	**क्या अधिकारी की जन्मतिथि वैध है (यदि नहीं, तो सी.सी.ए. के अनुसार सही डेटा)**	
7.	**क्या अधिकारी की सेवा में शामिल होने की तिथि वैध है (यदि नहीं, तो सीसीए के अनुसार सही डेटा)**	
8.	**प्रशिक्षण विसंगति टिप्पणी**	
9.	**क्या अधिकारी का वेतनमान वैध है (यदि नहीं, तो सही जानकारी)**	
10.	**वेतन बैंड + ग्रेड वेतन**	
11।	**वेतनमान विसंगति टिप्पणी**	
12.	**क्या अधिकारी का सतर्कता कोण मंजूरी वैध है**	
13.	**सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन**	

14.	**नियंत्रण प्राधिकारी का पदनाम और पूरा डाक पता**	
घोषणा: यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा **अनुबंध** I में दी गई जानकारी रिकॉर्ड के अनुसार सही है।		

हस्ताक्षर:
नाम:
पद का नाम:
विभाग/राज्य:

परिशिष्ट IV

किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किए जाने पर उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले बांड का मॉडल प्रारूप।

इन प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी लोगों को ज्ञात है कि मैं, _____निवासी_____, वर्तमान में _____ में _____ के रूप में कार्यरत हूँ, इसके द्वारा अपने आप को और अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासकों को भारत के राष्ट्रपति (जिसे इसके बाद 'सरकार' कहा जाएगा) को मांगने पर सभी शुल्कों और खर्चों का भुगतान करने के लिए बाध्य करता हूँ, जो कि सरकार द्वारा मेरे दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण के लिए _____ में _____ पर मांग की तारीख से सरकारी ऋणों पर वर्तमान में लागू सरकारी दरों पर ब्याज के साथ और साथ में वकील और ग्राहक के बीच सभी लागतों के साथ किया गया है।

< राज्य का नाम > की सरकार द्वारा दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जा रहा है ।

और चूंकि सरकार की बेहतर सुरक्षा के लिए मैं इस बांड को निम्नलिखित शर्तों के साथ निष्पादित करने के लिए सहमत हूं:

अब उपरोक्त लिखित दायित्व की शर्त यह है कि (यदि मैं ड्यूटी पर वापस नहीं आ पाता हूँ, या त्यागपत्र दे देता हूँ, सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता हूँ, या अन्यथा सेवा छोड़ देता हूँ) दीर्घावधि घरेलू प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ड्यूटी पर वापस आए बिना (या अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा करने में असफल हो जाता हूँ) या ड्यूटी पर वापस आने के पश्चात् **पाँच वर्ष की अवधि के भीतर किसी**

भी समय , मैं सरकार को या सरकार के निर्देशानुसार, माँगे जाने पर उक्त राशि को, मांग की तिथि से सरकारी ऋणों पर वर्तमान में लागू सरकारी दरों पर ब्याज सहित अदा करूँगा।

और मेरे द्वारा ऐसा भुगतान करने पर उपरोक्त लिखित दायित्व शून्य हो जाएंगे और उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा वे पूर्ण रूप से प्रभावी और प्रभावी रहेंगे।

बांड सभी मामलों में भारत के वर्तमान लागू कानूनों द्वारा शासित होगा और इसके अंतर्गत अधिकार और दायित्व, जहां आवश्यक हो, भारत के उपयुक्त न्यायालयों द्वारा तदनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

राज्य का नाम > की सरकार इस बांड पर देय स्टाम्प शुल्क वहन करने के लिए सहमत हो गई है।

वर्ष दो हजार और _____ के इस ____ दिन पर हस्ताक्षर और दिनांकित।

हस्ताक्षरित एवं वितरित

_____

की उपस्थिति में

	नाम और पता	**हस्ताक्षर**
साक्ष 1		
साक्ष 2		

स्वीकृत

< राज्य का नाम > सरकार की ओर से

कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुबंध- III

राज्यवार ग्राम पंचायत भवन (जीपीबी) की संख्या, साथ ही जीपी भवन में सीएससी सह-स्थापन, जिनकी जनसंख्या 3000 से अधिक है, लेकिन जिनके पास अपना जीपी भवन नहीं है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संतृप्ति के लिए जीपी भवन आवश्यक	आवश्यक ग्राम पंचायतों की संख्या 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत भवन	3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत भवन और सीएससी कोलोकेशन की प्रस्तावित संख्या, लेकिन प्रति राज्य 500 तक सीमित	राशि @ 25 लाख रुपये (जीपीबी के लिए 20 लाख रुपये और सीएससी सह-स्थापन के लिए 5 लाख रुपये)

1.	आंध्र प्रदेश	1675	417	417	104.25
2.	गुजरात	775	412	412	103.00
3.	हरियाणा	3128	564	500	125.00
4.	हिमाचल प्रदेश	224	28	28	7.00
5.	कर्नाटक	460	258	258	64.50
6.	महाराष्ट्र	2859	500	500	125.00
7.	पंजाब	4907	1095	500	125.00
8.	तेलंगाना	4687	92	92	23.00
9.	उत्तराखंड	1034	875	500	125.00
10.	पश्चिम बंगाल	0	0	5*	1.25
	उप योग	**19749**	**4241**	**3212**	**803.00**
	पूर्वोत्तर राज्य				
11।	मणिपुर	16	16	16	4.00
12.	मिजोरम	80	22	22	5.50
13.	नागालैंड	471	49	49	12.25
14.	सिक्किम	2	2	2	0.50
	उप योग	**569**	**89**	**89**	**22.25**
	कुल	**20318**	**4330**	**3301**	**825.25**

***किराए के भवन में कार्य करना**

अनुबंध- IV

स्वयं के भवन वाले ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यवार कम्प्यूटरों की संख्या।

क्र.सं	राज्य का नाम	कम्प्यूटर की आवश्यकता जिसमें जीपी भवन उपलब्ध है	राशि @ रु.0.78 लाख
1.	आंध्र प्रदेश	1422	11.09
2.	बिहार*	2000	15.60
3.	छत्तीसगढ़	5096	39.75
4.	हरियाणा	1363	10.63
5.	पंजाब	8034	62.67
6.	तमिलनाडु	1594	12.43
7.	तेलंगाना	1640	12.79
8.	उत्तराखंड	1015	7.92
	कुल	**22164**	**172.88**

* बिहार राज्य ने सूचित किया है कि सभी 8053 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर नहीं हैं और 2024-25 में 2000 ग्राम पंचायतों के लिए 2000 कंप्यूटरों का प्रस्ताव दिया है।

अनुबंध- V

बजट सारांश

गुजरात राज्य (2024-25)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी)**	
I.	सामान्य अभिमुखीकरण/प्रवेश प्रशिक्षण (21,000 प्रतिभागी)	4.20
II.	रिफ्रेशर कार्यक्रम प्रशिक्षण (26,292 प्रतिभागी)	3.05
III.	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (40,533 प्रतिभागी)	9.25
IV.	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (96,099 प्रतिभागी)	9.61
V.	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (60,674 प्रतिभागी)	6.38
VI.	कोई अन्य प्रशिक्षण (51,487 प्रतिभागी)	6.66
	सीबीएंडटी का उप-योग	**39.15**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
I.	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना*	6.64
II.	**प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास**	0.10
III.	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन	0.10
IV.	प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.20
V.	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (15,183 प्रतिभागी)	5.31
VI.	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (1,000 प्रतिभागी)	2.50
VII.	पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) का विकास (33 पीएलसी)	2.31
VIII.	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.10
	सीबीएंडटी के अंतर्गत अन्य गतिविधियों का उप-योग	**17.26**
3	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
I.	किराए के भवन में एस.पी.आर.सी. की स्थापना का प्रावधान (1 इकाई)	0.09
II.	किराये के भवन में डी.पी.आर.सी. की स्थापना के लिए प्रावधान (33 डी.पी.आर.सी. के लिए)	1.98
III.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की खरीद/ हायर करना	0.032
IV.	किराये के भवन में बीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान (215 बीपीआरसी)	7.74
V.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की खरीद/ हायर करना	0.3
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का उप-योग	**10.142**
4	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	

I.	एसपीआरसी के लिए आवर्ती लागत (1 एसपीआरसी)	0.32
II.	डीपीआरसी के लिए आवर्ती लागत (33 डीपीआरसी)	3.45
III.	बीपीआरसी के लिए आवर्ती लागत (215 बीपीआरसी)	10.7
	आवर्ती लागत संस्थागत बुनियादी ढांचे का उप-योग	**14.465**
5	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
I.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.264
II.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (33 डीपीएमयू)	3.643
III.	ब्लॉक प्रोग्राम प्रबंधन (248 BPMU)	11.90
	पीएमयू की कुल संख्या	**15.81**
6	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा।**	
I.	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1.00 करोड़ रुपये तक)	1.00
	दूरस्थ शिक्षा सुविधा की कुल संख्या	**1.00**
7	**PESA क्षेत्रों का विशेष समर्थन**	
I.	पेसा क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय समन्वयक हेतु मानदेय (1 इकाई)	0.072
II.	पेसा जिले में 1 पेसा समन्वयक का मानदेय (13 पेसा जिले)	0.468
III.	पेसा ब्लॉक में 1 पेसा समन्वयक का मानदेय (52 पेसा ब्लॉक)	1.56
IV.	1 ग्राम सभा मोबिलाइज़र / पेसा जीपी का मानदेय (2678)	12.85
V.	ग्राम सभा अभिमुखीकरण (5 ग्राम पंचायतों के समूह के लिए)	0.804
	पेसा क्षेत्रों के विशेष समर्थन की कुल राशि	**15.75**
8	गांधीनगर/अहमदाबाद में एसपीआरसी/डीपीआरसी का निर्माण**	2.00
I.	**एसपीआरसी/डीपीआरसी निर्माण की कुल संख्या**	**2.00**
9	**अभिनव गतिविधि**	
I.	पंचायतों में सेवा वितरण	**0.72**
	कुल नवीन गतिविधि	**0.72**
	1 से 9 तक का उप-योग	**116.3**
10	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	**2.32**
11	पीएमयू (अनुमोदित योजना आकार का 1.5% तक)	**1.74**
	कुल योजना का आकार	**120.36**

अनुबंध- VI

पंजाब राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	घटक	मात्रा
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
I.	सामान्य अभिमुखीकरण (100000 प्रतिभागी)	30,000
II.	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (27500 प्रतिभागी)	2.825
III.	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (26000 प्रतिभागी)	2.600
IV.	विशेष प्रशिक्षण (3000 प्रतिभागी)	0.550
V.	कोई अन्य प्रशिक्षण (29000 प्रतिभागी)	3.500
	उप-योग (सीबी एंड टी)	**39.475**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
I.	प्रशिक्षण मॉड्यूल	0.100
II.	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन	0.060
III.	प्रशिक्षण सामग्री	0.200
IV.	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना (1000 जीपी)	2.000
V.	प्रशिक्षण का मूल्यांकन	0.050
VI.	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (5000 प्रतिभागी)	1.750
VII.	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (1000 प्रतिभागी)	2.500
VIII.	पंचायत लर्निंग सेंटर का विकास (20 पीएलसी)	1.400
IX.	सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (5 दिनों के लिए प्रति प्रतिभागी 2500 मीट्रिक टन प्रति दिन)	0.250
X.	पीआरआई (एमडीपी) संस्थानों के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम: (आईआईटी रोपड़, आईआईएम अमृतसर और एस. एलआईईटी संगरूर) (1000 प्रतिभागी)	3.900
	सीबी एंड टी का उप-योग	**12.210**
	सीबीएंडटी का कुल (1+2)	**51.685**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
I.	एसपीआरसी आवर्ती लागत (1 एसपीआरसी)	0.840
II.	अतिरिक्त संकाय और डीपीआरसी के रखरखाव पर आवर्ती लागत (23 डीपीआरसी)	2.033

क्रम सं.	घटक	मात्रा
III.	अतिरिक्त संकाय और बीपीआरसी के रखरखाव पर आवर्ती लागत (153 बीपीआरसी)	6.426
	संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल लागत (आवर्ती लागत)	**9.299**
4	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
I.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.264
II.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (23 डीपीएमयू)	2.484
III.	ब्लॉक प्रोग्राम प्रबंधन (153 BPMU)	6.976
	पीएमयू की कुल संख्या	**9.724**
5	**ई-सक्षमता**	
I.	कंप्यूटर की खरीद (300 नए)	**1.500**
	ई-सक्षमता की कुल संख्या	**1.500**
	उप योग (क्रम संख्या 1 से 5)	**72.208**
6.	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	**1.444**
7.	पीएमयू (अनुमोदित योजना आकार का 1.5% तक)	**1.083**
	कुल योजना का आकार	**74.735**

अनुबंध- VII

गोवा राज्य सरकार द्वारा AAP 2024-25 में शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त गतिविधियाँ

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	**अवयव**	**राज्य द्वारा प्रस्तावित राशि**
1	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (5 दिनों के लिए 350 प्रतिभागी)	87.50
2	**सीबी एंड टी के अन्य घटक**	
I.	शराब, नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों पर प्रशिक्षण (2 दिनों के लिए 100 प्रतिभागी/राज्य स्तर)	5.00
II.	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	5.00
III.	एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्र में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (5 दिनों के लिए 20 प्रतिभागी @2500/-)	2.50
3	विशेष परियोजना- कार्बन तटस्थता	50.00
4	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण, ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन सेवाओं का प्रावधान (50 ग्राम पंचायत @ 25,000/-/ग्राम)	12.50
	कुल लागत	**162.50**

अनुबंध- VIII

गोवा राज्य के लिए वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि (6 वीं सीईसी)	8वीं सीईसी) द्वारा संशोधित अनुमोदन
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**		
I.	सामान्य अभिमुखीकरण/ (800 प्रतिभागी)	0.21	0.21
II.	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (630 प्रतिभागी)	0.0625	0.0625
III.	विषयगत प्रशिक्षण (295 प्रतिभागी)	0.0323	0.0323
IV.	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (1,410 प्रतिभागी)	0.285	0.285
V.	कोई अन्य प्रशिक्षण (50 प्रतिभागी + 100 प्रतिभागी, शराब, ड्रग्स)	0.025	0.075
	उप-योग (सीबी एंड टी)	**0.614**	**0.6648**
2.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**		
I.	24 पंचायतों के लिए जीपीडीपी हेतु सहायता प्रदान करना (प्रति ब्लॉक 2 जीपी)	0.048	0.048
II.	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.05	0.05
III.	प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.20	0.20
IV.	प्रशिक्षण मूल्यांकन	--	0.05
V.	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (60 प्रतिभागी)	0.021	0.021
VI.	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (60 प्रतिभागी + 350 प्रतिभागी)	0.20	1.07
VII.	पंचायत अध्ययन केन्द्र का विकास (2 पी.एल.सी.)	0.14	0.14
VIII.	सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक। (22 प्रतिभागी + 20 प्रतिभागी)	0.015	0.04
IX.	नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम	0.01	0.01
	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियों का उप-योग	**0.684**	**1.629**
	सीबी एंड टी का कुल (1+2)	**1.298**	**2.294**
3.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**		
I.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.618	0.618
II.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख/डीपीआरसी/वर्ष) (5	0.352	0.352

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि (6 वीं सीईसी)	8वीं सीईसी) द्वारा संशोधित अनुमोदन
	डीपीआरसी के लिए)		
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का उप-योग (आवर्ती लागत)	**0.97**	**0.97**
4.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**		
I.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) 8	0.264	0.264
II.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) 24 डीपीएमयू के लिए	0.216	0.216
	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की कुल संख्या	**0.48**	**0.48**
5	ई.सक्षमता (50 जीपी के लिए इंटरनेट कनेक्शन @ 25,000/जीपी)	--	0.12
	उप कुल	**2.748**	**3.864**
6	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	0.055	0.077
7	पीएमयू (अनुमोदित योजना आकार का 1.5% तक)	0.041	0.057
	कुल	**2.844**	**3.998**

अनुलग्नक-IX (i)

महाराष्ट्र राज्य के संशोधित प्रस्ताव का सार									
									(राशि करोड़ रुपये में)
क्र. सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुमोदित**		**संशोधित प्रस्ताव**		**अंतर**		**उतार-चढ़ाव**	**टिप्पणी**
		इकाई	**लागत**	**इकाई**	**लागत**	**इकाई**	**लागत**		
1	पंचायत विकास योजना के लिए प्रशिक्षण - जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी	401847	**26.35**	438978	**22.02**	37131	4.33	(+)	4.33 करोड़ रुपये की बचत
5	पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए सहायता	497	87.7	461	82.1	36	5.6	(+)	5.6 करोड़ रुपये की बचत
	बचत का उप-योग					**4.33+5.6 = 9.93 करोड़.**			
2	ग्राम पंचायतों को 2000/- रुपये प्रति ग्राम पंचायत की दर से सहायता प्रदान की जाएगी	0	0	27943	5.59	27943	5.59	(-)	5.59 करोड़ रुपये की लागत निहितार्थ के साथ अतिरिक्त प्रस्ताव
3	पंचायत लर्निंग पंचायत लर्निंग	45	3.15	79	5.53	34	2.38	(-)	2.38 करोड़ रुपये की लागत निहितार्थ के साथ अतिरिक्त प्रस्ताव
4	नेतृत्व/प्रबंधन विकास योजनाएँ (एमडीपी)	-	-	400	2	400	2	(-)	2 करोड़ रुपये की लागत निहितार्थ के साथ अतिरिक्त प्रस्ताव
	उप-कुल					**5.59+2.38+2**			

	प्रस्तावित व्यय					**= 9.97 करोड़.**			
	कुल योजना का आकार	402389	117.20	439918	117.24	65544	117.24	(-) = 9.97 (+) = 9.93	**0.04 करोड़ रुपये का संशोधन**
	शुद्ध अतिरिक्त लागत निहितार्थ							**9.97-9.93 = 0.04 करोड़**	

अनुलग्नक-IX (ii)

महाराष्ट्र राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का संशोधित बजट सारांश

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि	सीईसी द्वारा स्वीकृत संशोधित राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**		
I.	सामान्य अभिमुखीकरण (92961 प्रतिभागी)	32.11	32.11
II.	रिफ्रेशर प्रशिक्षण (6300 प्रतिभागी)	4.73	4.73
III.	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (401847 प्रतिभागी) **(संशोधित 438978 प्रतिभागी)**	26.35	22.02
IV.	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण / क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (319966 प्रतिभागी)	91.69	91.69
V.	विशेष प्रशिक्षण (176964 प्रतिभागी)	42.48	42.48
VI.	कोई अन्य प्रशिक्षण (39396 प्रतिभागी)	8.34	8.34
	उप-कुल क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	**205.7**	**201.37**
2	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ		
I.	**जीपी को सहायता प्रदान करना (नए 27943 जीपी)**	0.00	5.59
II.	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन	0.03	0.03
III.	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.08	0.08
IV.	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.2	0.2
V.	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (3400 प्रतिभागी)	4.76	4.76
VI.	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (635 प्रतिभागी)	2.22	2.22
VII.	पंचायत लर्निंग सेंटर का विकास (45 पी.एल.सी.) **(संशोधित 79 पी.एल.सी.)**	3.15	5.53
VIII.	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.1	0.1
IX.	5 दिनों के लिए 400 प्रतिभागियों के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	0.00	2.00
	उप-योग अन्य गतिविधियाँ	**10.54**	**18.51**
	सीबी एंड टी का कुल (1+2)	**216.24**	**221.88**
3	**संस्थागत बुनियादी ढांचा (निर्माण/किराए पर)**		

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि	सीईसी द्वारा स्वीकृत संशोधित राशि
I.	नए **डीपीआरसी के भवन का निर्माण** और बुनियादी उपकरणों का प्रावधान (2 डीपीआरसी)	4.00	4.00
II.	**डी.पी.आर.सी. के भवन** का निर्माण और बुनियादी उपकरणों का प्रावधान। (2 सी.ओ.)	0.50	0.50
III.	**किराये के भवन** में डी.पी.आर.सी. की स्थापना का प्रावधान (12 डी.पी.आर.सी.)	0.72	0.72
IV.	किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान (12 बीपीआरसी)	0.43	0.43
	उप-कुल संस्थागत अवसंरचना	**5.65**	**5.65**
4	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**		
I.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84	0.84
II.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख /डीपीआरसी/वर्ष)	2.80	2.80
III.	12 बीपीआरसी के लिए बीपीआरसी आवर्ती लागत	0.50	0.50
	उप योग (आवर्ती लागत)	**4.14**	**4.14**
5	**संस्थागत बुनियादी ढांचा (बुनियादी ढांचे की लागत की भर्ती)**		
I.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भर्ती	0.16	0.16
II.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	1.54	1.54
	उप योग	**1.70**	**1.70**
	कुल (संस्थानिक अवसंरचना)	**11.49**	**11.49**
6	**पंचायत बुनियादी ढांचा**		
I.	पंचायत भवन का निर्माण (429 कैरी फॉरवर्ड)	74.10	68.50
II.	पंचायत भवन का निर्माण (68 नये) **कुल स्वीकृत 497 संशोधित 461 पंचायत भवन)**	13.60	13.60
	पंचायत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**87.70**	**82.10**
7	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**		
I.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26	0.26
II.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	3.67	3.67
III.	ब्लॉक प्रोग्राम प्रबंधन (बीपीएमयू)	16.85	16.85
	पीएमयू की कुल संख्या	**20.78**	**20.78**
8	**पंचायतों का ई-सक्षमीकरण**		
IV.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस)	4.73	4.73

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि	सीईसी द्वारा स्वीकृत संशोधित राशि
	(945 यूनिट CO)		
	ई-सक्षमीकरण की कुल संख्या	**4.73**	**4.73**
9	**पेसा**		
I.	पेसा क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय समन्वयक हेतु मानदेय	**0.07**	**0.07**
II.	पेसा जिले में पेसा समन्वयक का मानदेय (13 जिले)	**0.47**	**0.47**
III.	पेसा ब्लॉक में पेसा समन्वयक का मानदेय (59 ब्लॉक)	**1.77**	**1.77**
IV.	ग्राम सभा मोबिलाइज़र/पेसा जीपी का मानदेय (3003)	**14.41**	**14.41**
V.	ग्राम सभा अभिमुखीकरण	**0.9**	**0.9**
	पीईएसए की कुल संख्या	**17.62**	**17.62**
10	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**		
I.	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1 स्टूडियो)	0.50	0.50
II.	सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव / तकनीकी जनशक्ति	0.10	0.10
	दूरस्थ शिक्षा की कुल संख्या	**0.60**	**0.60**
11	**नवाचार के लिए समर्थन**		
I.	ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए नवीन सामाजिक-आर्थिक समाधान (आगे बढ़ाया गया)	**0.60**	**0.60**
II.	ठाणे जिले के भिवंडी ब्लॉक के एक गांव में मदर ई लाइब्रेरी की स्थापना (आगे बढ़ा)	**2.00**	**2.00**
III.	ठाणे जिले के दुधानी और वापे नामक दो गांवों का सौरीकरण (कैरी ओवर)	**2.07**	**2.07**
	नवाचार के लिए सम्पूर्ण समर्थन	**4.67**	**4.67**
12	**आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता**		
IV.	पलासखेड़ा, जिला- जलगांव के लिए कृषि उपज के लिए सौर सुखाने परियोजना (आगे बढ़ाया गया)	**3.08**	**3.08**
	कुल आर्थिक विकास	**3.08**	**376.74**
	कुल (1 से 10)	**366.91**	**366.95**
13	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	**7.33**	**7.33**
14	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	**5.503**	**5.50**
	कुल योजना का आकार	**379.743**	**379.78**

अनुबंध- X

पश्चिम बंगाल राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का संशोधित बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
I.	ई.आर. के लिए सामान्य अभिमुखीकरण/प्रवेश प्रशिक्षण (3885 प्रतिभागी)	2.91
II.	ईआर के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम प्रशिक्षण (48541 प्रतिभागी)	9.71
III.	पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी) के लिए प्रशिक्षण (71456 प्रतिभागी)	9.97
IV.	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (125340 प्रतिभागी)	21.23
V.	विशेष प्रशिक्षण (8349 प्रतिभागी)	1.31
VI.	कोई अन्य प्रशिक्षण (20009 प्रतिभागी)	2.57
	उप-योग सीबीएंडटी	**47.70**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
I.	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण/आईएसओ प्रमाणन के लिए सहायता (प्रति जीपी/वर्ष 20,000/- रुपये तक) 330 जीपी	0.66
II.	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (प्रति राज्य 10 लाख तक/ 2 वर्ष में एक बार)	0.004
III.	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास (प्रति राज्य 10 लाख तक/ 2 वर्ष में एक बार)	0.05
IV.	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.145
V.	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (3 दिनों के लिए 230 प्रतिभागी)	0.24
VI.	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (5 दिनों के लिए 375 प्रतिभागी)	0.94
VII.	पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) का विकास (प्रत्येक पीएलसी के लिए 7,00,000/- रुपये तक) 9 पीएलसी	0.63
VIII.	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन (प्रति राज्य 10 लाख तक/ 2 वर्ष में एक बार)	0.10
IX.	पीआरआई (एमडीपी) के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम 939 @ 7811 पर 5 दिनों के लिए	3.67
	सीबी एंड टी का उप-योग	**6.44**
3	**सीबी एंड टी के लिए संस्थागत तंत्र**	

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
3.1	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
I.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
II.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख /डीपीआरसी/वर्ष) (22 डीपीआरसी के लिए)	4.40
III.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरण किराये पर लेना (जिला स्तर पर कुल प्रशिक्षण लागत का 1%)	0.06
IV.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (345 बीपीआरसी के लिए)	14.49
	कुल (आवर्ती लागत)	**19.79**
3.2	**सीबी एंड टी के लिए संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
I.	डीपीआरसी का निर्माण (आगे बढ़ाया जाना) (5 डीपीआरसी के लिए)	**10.00**
II.	डीपीआरसी किराये पर (5 डीपीआरसी के लिए)	**0.30**
	सीबी एंड टी के लिए कुल बुनियादी ढांचा	**10.30**
4	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
I.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1एसपीएमयू)	0.22
II.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (22 डीपीएमयू)	2.24
III.	ब्लॉक प्रोग्राम प्रबंधन (345 बीपीएमयू)	7.69
	पीएमयू की कुल संख्या	**10.15**
5	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	
I.	**सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव / तकनीकी जनशक्ति** ***(सीईसी प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा)***	0.41
II.	**राज्य में दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के लिए सीबीएंडटी की सुविधा हेतु प्रौद्योगिकी के किसी वैकल्पिक तरीके - आईपी आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।** ***(सीईसी प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा)***	19.12
	दूरस्थ शिक्षा की कुल संख्या	**19.53**
6	**पंचायत बुनियादी ढांचा**	
I.	पंचायत भवन का निर्माण (35 कैरी फॉरवर्ड) - रु. 3.50 करोड़ + (8 वीं सीईसी बैठक में रु. 0.421 करोड़ पर विचार किया गया)	**3.92**
II.	पंचायत भवन का निर्माण (77 नई जीटीए जीपी)	**15.40**
	पंचायत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**19.32**
7	**ई.पंचायतों को सक्षम बनाना**	
III.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए रु. 50,000/- जीपी) जीटीए के लिए 112 इकाई	0.56
	ई-सक्षमीकरण की कुल संख्या	**0.56**

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
8	**नवीन गतिविधि (प्रत्येक मामले में 5 करोड़ रुपये तक)**	
I.	पंचायतों के लिए लोक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) को **आगे बढ़ाया जाएगा**	**0.022**
II.	पश्चिम बंगाल पंचायत भर्ती प्रबंधन प्रणाली को **आगे बढ़ाया जाएगा**	**0.01**
III.	जीपी स्मार्ट हेल्थ क्लिनिक **आगे बढ़ाएँ**	**0.19**
IV.	पश्चिम बंगाल पंचायत कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली को **आगे बढ़ाया जाएगा**	**0.58**
V.	पश्चिम बंगाल पंचायत प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूबीपीएमएस) को **आगे बढ़ाया जाएगा**	**0.13**
	कुल	**0.93**
9	**आय विकास एवं आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता (प्रत्येक मामले में 2-10 करोड़ रुपये तक)**	
VI.	पुंचरा ग्राम पंचायत के पानीफला गांव में निराला गर्म पानी के झरने पर पर्यटन **(आगे बढ़ें)**	**1.06**
	नवीन परियोजनाओं की कुल संख्या	**1.06**
	उप योग	**135.78**
10	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	**2.71**
11	पीएमयू (अनुमोदित योजना आकार का 1.5% तक)	**2.03**
	कुल योजना	**140.52**

अनुलग्नक- XI

अरुणाचल प्रदेश राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का संशोधित बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
I.	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (15,810 प्रतिभागी)	5.91
II.	विशेष प्रशिक्षण (100 प्रतिभागी)	0.05
III.	कोई अन्य प्रशिक्षण (19,230 प्रतिभागी)	10.13
	उप-योग (सीबीएंडटी)	**16.09**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
I.	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.10
II.	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन	0.10
III.	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.20
IV.	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.10
V.	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (3 दिनों के लिए 550 प्रतिभागियों के लिए)	0.57
VI.	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (210 प्रतिभागियों के लिए 7 दिनों के लिए)	0.73
VII.	जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना (211 जीपी)	0.42
VIII.	50 पी.एल.सी. के लिए पंचायत लर्निंग सेंटर (पी.एल.सी.) का विकास	3.50
IX.	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (250 प्रतिभागियों के लिए)	0.31
X.	नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम (100 @ रु. 7811, 5 दिन के लिए)	0.39
	उप-योग (सीबी एंड टी)	**6.43**
	सीबी एंड टी का कुल (1+2)	**22.52**
3	**संस्थागत बुनियादी ढांचा (निर्माण)**	
I.	डीपीआरसी का निर्माण (12 नए निर्माण)	24.00
II.	**डी.पी.आर.सी. के भवन** का निर्माण और बुनियादी उपकरणों का प्रावधान (6 डी.पी.आर.सी.)	7.00
III.	में डी.पी.आर.सी. की स्थापना का प्रावधान **(19 भवन)**	1.14
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का उप-योग	**32.14**
4	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
I.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
II.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (25 डीपीआरसी के लिए 20 लाख /डीपीआरसी/वर्ष)	5.00
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का उप-योग	**5.84**
5	**पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन**	
I.	पंचायत भवन का निर्माण (261 आगे बढ़ाया गया)	48.50
II.	पंचायत भवन का निर्माण (400 नये)	80.00
III.	पीबी के साथ सीएससी का सह-स्थान - (261 कैरी फॉरवर्ड)	12.12
	पंचायत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**140.62**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
I.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.26
II.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (25 डीपीएमयू)	2.70
	पीएमयू की कुल संख्या	**2.96**
7	**पंचायतों का ई-सक्षमीकरण**	
I.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (400 यूनिट नई)	2.00
II.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (कैरी ओवर) (200 यूनिट)	1.00
	पंचायतों की ई-सक्षमता की कुल संख्या	**3.00**
	उप-योग (क्रमांक 1 से 7)	**207.08**
8	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	**4.14**
9	पीएमयू (अनुमोदित योजना आकार का 1.5% तक)	**3.10**
	कुल योजना का आकार	**214.32**